www.dhyeyaias.com

मई 2020 | अंक 04

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

ध्येय IAS की एक नई पहल

1

श्रमिक कानून में परिवर्तन का बहुआयामी प्रभाव

एक आकलन

2 अफगानिस्तान शांतिवार्ता और भारत का पक्ष

3 परमाणु अप्रसार संधि के 50 वर्ष: एक मूल्यांकन

4 कोरोना वायरस से बदलता वैश्विक परिदृश्य और भारत

5 महामारी के दौरान पेटेंट पूल: वर्तमान समय की मांग

6 पर्यावरण एवं जलवायु पर कोविड-19 का पश्चात्वर्ती प्रभाव

7 भारत में रासायनिक आपदा और उसका प्रबंधन

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

ध्येय IAS : एक परिचय

विनय कुमार सिंह
संस्थापक एवं सी.ई.ओ.

क्यू. एच. खान
प्रबंध निदेशक

हम इस मंत्र में विश्वास रखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है; प्रत्येक व्यक्ति निपुण है एवं प्रत्येक व्यक्ति में असीमित क्षमता है। ध्येय IAS हमेशा से आत्मप्रेरणादायक मार्गदर्शन को प्रोत्साहित करता रहा है जिससे कि छात्रों के भीतर ज्ञान का सृजन हो सके। शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य ज्ञान के सृजन, प्रसार एवं अनुप्रयोग को एकीकृत रूप में पिरोकर एक सह-क्रियाशील प्रभाव उत्पन्न करना है। ध्येय IAS हमेशा से ही छात्रों के भीतर मानवीय मूल्यों एवं सत्यनिष्ठा को विकसित करने का पक्षधर रहा है जिससे कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो और वे एक ऐसी परिस्थिति का सृजन करें जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए भी बेहतर हो। ध्येय IAS नये और प्रभावशाली तरीकों से अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रत्येक छात्र को हर प्रयास में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए हम निरंतर और निर्बाध रूप से अपने अध्ययन कार्यक्रम और शिक्षण पद्धतियों में परिवर्तन एवं परिमार्जन करते रहते हैं।

सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रतियोगी छात्रों में केवल ज्ञान के प्रति जुनून ही नहीं उत्पन्न करता है बल्कि यथार्थ जीवन में उसका प्रयोग भी सिखाता है। ध्येय IAS प्रतियोगी छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है साथ ही उनमें ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों का भी सृजन करता है।

ध्येय IAS एक ऐसा संस्थान है जिसका लक्ष्य हमेशा से ही छात्रों के समग्र विकास का रहा है। हमारे संस्थान के शिक्षक अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं जिससे कि छात्रों को प्रत्येक विषय में अधिकतम मदद प्राप्त हो सके। यह एक ऐसा बहुमुखी संस्थान है जहाँ छात्रों को उच्चस्तरीय कक्षाओं और समृद्धशाली अध्ययन सामग्री के साथ-साथ हरसंभव सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

आज ध्येय IAS सिविल सेवा परीक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहचान रखता है, क्योंकि हम उच्चस्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। हम छात्रों को ज्ञान की परिधि बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं ताकि वे पाठ्यक्रम के दायरे से सदैव दो कदम आगे रहें। हमारा मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनकी आन्तरिक क्षमता का बोध कराना होता है जिससे कि वे अपनी एक अलग पहचान बनाकर कल के समाज का कीर्तिमान बन सकें।

Perfect 7 : एक परिचय

कुरबान अली
मुख्य संपादक

मैं उत्साहपूर्वक यह बताना चाहता हूँ कि 'Perfect 7' का नया स्वरूप छात्रों एवं पाठकों के लिए और अधिक जानकारियों को एक अत्यंत आकर्षक स्वरूप में लेकर सामने आ रहा है। इस कार्य के लिए संपादकीय दल को मेरी शुभेच्छा। शुरूआत से ही ध्येय IAS द्वारा रचित 'Perfect 7' को पाठकों का बेहद प्रेम और स्नेह मिलता रहा है। किसी भी संस्था का नाम एवं प्रसिद्धि उसके छात्रों एवं शिक्षकों की दक्षता एवं उपलब्धियों पर निर्भर करती है। एक शिक्षक का मुख्य कार्य उसके छात्रों की क्षमताओं का निर्माण कर उसे सफलता के मार्ग पर अग्रसर करना होता है, उसी क्रम में यह पत्रिका इस संस्थान की शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए उसके छात्रों एवं पाठकों में समसामयिकी मुद्दों पर एक व्यापक दृष्टिकोण को विकसित करने के लक्ष्य को लेकर प्रकाशित की जा रही है जिसके द्वारा विभिन्न प्रबुद्ध शिक्षकों, लेखकों एवं छात्रों को एक मंच पर सम्मिलित किया जा रहा है, ताकि वे अपने नवाचार युक्त विचारों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकें।
इस क्रम में किये जा रहे कठिन परिश्रम को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

आशुतोष सिंह
प्रबंध संपादक

हमने अपनी साप्ताहिक पत्रिका का ना केवल नाम 'Perfect 7' रखा है, बल्कि उसे 'परफेक्ट' बनाने के लिए हर संभव प्रयास भी किया है। यह सर्वविदित है कि किसी कार्य की शुरूआत सबसे चुनौतीपूर्ण होती है और सबसे महत्वपूर्ण भी। इसलिए यह स्थिति हमारे सामने भी आयी।
हमारे लिए यह चुनौती और भी बड़ी इसलिए साबित हुई क्योंकि हमने अपनी पत्रिका की गुणवत्ता के लिए अत्यधिक उच्च मानक तय किया। हमने शुरूआत में ही तय कर लिया था कि हम पत्रिका के नाम पर प्रतिभागियों को 'सूचनाओं का कचरा' नहीं प्रदान करेंगे। हमने यह निश्चय किया कि सिविल सेवा की परीक्षा को केंद्र में रखते हुए, हम उन्हें 'Perfect 7' के रूप में वह रामबाण देंगे जो सीधे लक्ष्य को भेदेगा। इसके लिए हमने 'मल्टी फिल्टर' और 'सिक्स सिगमा' प्रणाली को अपनाया जिसके तहत अलग-अलग स्तरों पर चर्चा कर अंततः उन विषयों और मुद्दों को इसमें समाहित किया जाता है जहाँ से परीक्षा में प्रश्नों का पूछा जाना अधिसंभाव्य है।
इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्तर पर गलतियों को दूर कर 'Perfect 7' को त्रुटिहीन, प्रवाहपूर्ण और आकर्षक रूप से आपके सामने लाया जाता है। गुणवत्तापूर्ण सामग्री देने के अतिरिक्त, समयबद्ध रूप से इसको आपके समक्ष लाना भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि यह एक साप्ताहिक पत्रिका है। हमें इस बात का बेहद हर्ष एवं गर्व है कि पहले अंक से लेकर इस अंक तक कोई भी सप्ताह ऐसा नहीं रहा जब 'Perfect 7' अपने तय समय पर प्रकाशित न हुई हो।
'Perfect 7' का यह जो नया संस्करण हम आपके सामने ला रहे हैं, इसमें हमारे परिश्रम से कहीं ज्यादा आपके प्रेम और स्नेह की भूमिका है जिसकी वजह से हम बिना रूके, बिना थके प्रत्येक सप्ताह आपके लिए यह पत्रिका प्रकाशित करते हैं। आपकी शुभकामनाओं से यह क्रम आगे भी जारी रहेगा।

प्रस्तावना

हमने 'PERFECT 7' पत्रिका को सिविल सेवा परीक्षा के प्रतियोगी छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया है। सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का चयन कर 'PERFECT 7' में सात महत्वपूर्ण मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया जाता है। इसके अतिरिक्त सात ब्रेन बूस्टर्स, सात महत्वपूर्ण तथ्य, पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं एवं सात महत्वपूर्ण ग्राफिक्स के माध्यम से संकल्पनाओं का समावेशन 'PERFECT 7' को सिविल सेवा परीक्षा के लिए 'गागर में सागर' साबित करता है।

'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों का संकलन करते समय उन मुद्दों के पक्ष, विपक्ष, विशेषताओं तथा उनसे भारत एवं विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा प्रस्तुत की जाती है, ताकि छात्र उन मुद्दों के बारे में एक समझ विकसित कर सकें। 'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण खबरों के जरिए छात्रों को सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। इस पत्रिका के सात महत्वपूर्ण तथ्यों एवं पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं के जरिए हम अपने छात्रों को अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सिविल सेवा परीक्षा के सभी पहलुओं को समाहित करना है। 'PERFECT 7' के सात ब्रेन बूस्टर्स के जरिए समसामयिक विषयों की जानकारी संक्षेप में एवं आकर्षक रूप में प्रस्तुत की जाती है जिससे कि छात्रों द्वारा इसे सरलता से आत्मसात किया जा सके। इसके अतिरिक्त इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। अन्य पत्रिकाओं की भांति हम छात्रों को केवल सतही जानकारी उपलब्ध कराने में विश्वास नहीं रखते बल्कि सारगर्भित बहुपक्षीय और त्रुटिरहित जानकारी प्रदान करने का अथक प्रयास करते हैं जिससे सिविल सेवा में हमारे छात्र सफलता अर्जित कर सकें, क्योंकि छात्रों की सफलता ही हमारी पत्रिका की कसौटी है। हमने अपने अथक प्रयास एवं परिश्रम के जरिए 'PERFECT 7' पत्रिका को 'परफेक्ट' बनाने का कार्य किया है, फिर भी यदि कोई त्रुटि रह गयी हो तो उसे सुधारने में आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

जीत सिंह
सम्पादक, ध्येय IAS

संघ लोक सेवा आयोग व अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा में विगत कुछ वर्षों से राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित प्रश्नों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है। इसकी पुष्टि विगत वर्षों में संपन्न हुई परीक्षाओं के प्रश्न पत्र से की जा सकती है। इसलिए हमने 'PERFECT 7' पत्रिका के माध्यम से उन मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया है, जो परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। 'PERFECT 7' पत्रिका न केवल प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा के लिए उपयोगी है, बल्कि यह साक्षात्कार के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। इसमें समसामयिक घटनाओं को बेहद रोचक ढंग से तालिका,फ्लोचार्ट एवं चित्रों के माध्यम से समझाया गया है। 'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों को संकलित करते समय हमारा प्रयास न केवल उन मुद्दों के सभी पहलुओं अर्थात् एक स्पष्ट विश्लेषणात्मक सांचे में ढालने का रहा है बल्कि ऐसे मुद्दों का इसमें विस्तृत विवेचन भी किया गया है, जिनका अन्य समसामयिक पत्रिकाओं में जिक्र तक नहीं होता है। 'PERFECT 7' के सात ब्रेन बूस्टर्स के माध्यम से समसामयिक विषयों की जानकारी को बेहद सटीकता व आकर्षक रूप से प्रस्तुत किया गया है, जिससे छात्रों को कम समय में भी उपयोगी जानकारी सुलभ हो सके। इसके अतिरिक्त 'PERFECT 7' पत्रिका में सात महत्वपूर्ण खबरें, सात महत्वपूर्ण पीआईबी, सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न व सात महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश भी किया गया है। इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि किसी भी पत्रिका में तथ्यों की मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण उसकी गुणवत्ता होती है, इसलिए इसी सिद्धांत का अनुपालन करके हमने सारगर्भित रूप में यह पत्रिका आपके सम्मुख प्रस्तुत की है, चूंकि कोई भी कृति अंतिम नहीं होती है, उसमें सुधार की सदैव संभावनाएँ विद्यमान रहती हैं। अतः सभी छात्रों से अनुरोध है कि अपने बहुमूल्य सुझावों व समालोचनाओं से हमें अवगत कराएं।

अवनीश पाण्डेय
सम्पादक, ध्येय IAS

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

ध्येय टीम

संस्थापक एवं सी.ई.ओ.	विनय कुमार सिंह
प्रबंध निदेशक	क्यू. एच. खान
मुख्य संपादक	कुरबान अली
प्रबंध संपादक	आशुतोष सिंह
संपादक	जीत सिंह अवनीश पाण्डेय ओमवीर सिंह चौधरी रजत झिंगन
संपादकीय सहयोग	प्रो. आर. कुमार
मुख्य लेखक	अजय सिंह अहमद अली स्वाती यादव अंशुमान तिवारी
लेखक	अशरफ अली गिरराज सिंह हरिओम सिंह स्नेहा तिवारी
समीक्षक	रंजीत सिंह रामयश अग्निहोत्री
आवरण सज्जा एवं विकास	संजीव कुमार झा पुनीश जैन
विज्ञापन एवं प्रोन्नति	गुफरान खान राहुल कुमार
प्रारूपक	विपिन सिंह कृष्ण कुमार निखिल रमेश कुमार कृष्णकांत मंडल मुकुन्द पटेल
कार्यालय सहायक	हरीराम राजू यादव

Content Office
ध्येयIAS®
most trusted since 2003
DHYEYA IAS
302, A-10/11, Bhandari House,
Near Chawla Restaurants,
Dr. Mukherjee Nagar,
Delhi-110009

www.dhyeyaias.com

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

ध्येय IAS की एक नई पहल
मई 2020 | अंक 04

विषय सूची

7 महत्वपूर्ण मुद्दे एवं उन पर आधारित विषयनिष्ठ प्रश्न 01–14
- श्रमिक कानून में परिवर्तन का बहुआयामी प्रभाव: एक आकलन
- अफगानिस्तान शांतिवार्ता और भारत का पक्ष
- परमाणु अप्रसार संधि के 50 वर्ष: एक मूल्यांकन
- कोरोना वायरस से बदलता वैश्विक परिदृश्य और भारत
- महामारी के दौरान पेटेंट पूल: वर्तमान समय की मांग
- पर्यावरण एवं जलवायु पर कोविड-19 का पश्चात्वर्ती प्रभाव
- भारत में रासायनिक आपदा और उसका प्रबंधन

7 महत्वपूर्ण ब्रेन बूस्टर्स 15–21
7 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर (ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित) 22–23
7 महत्वपूर्ण खबरें 24–28
7 महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु) 29
7 महत्वपूर्ण तथ्य (प्रारंभिक परीक्षा हेतु) 30
7 महत्वपूर्ण उक्तियाँ (निबंध एवं उत्तर लेखन के लिए उपयोगी) 31

OUR OTHER INITIATIVES

UDAAN TIMES
Putting You Ahead of Time...
Hindi & English Current Affairs Monthly News Paper

DHYEYA TV
Current Affairs Programmes hosted by Mr. Qurban Ali
(Ex. Editor Rajya Sabha, TV) & by Team Dhyeya IAS
(Broadcasted on YouTube & Dhyeya-TV)

7 महत्वपूर्ण मुद्दे

01 श्रमिक कानून में परिवर्तन का बहुआयामी प्रभावः एक आकलन

चर्चा का कारण

- भारत में पिछले करीब दो महीने से लागू लॉकडाउन की वजह से उद्योग-धंधे बंद पड़े हैं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था भी डगमगा गई है। इससे उबरने और उद्योगों को दोबारा पटरी पर लाने के लिए अब तक उत्तर प्रदेश समेत छह राज्य अपने श्रम कानूनों में कई बड़े बदलाव कर चुके हैं। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आगामी तीन वर्षों के लिये सभी व्यवसायों और उद्योगों को श्रम कानूनों से छूट देने वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी है।

आवश्यकता क्यों

- श्रम कानूनों में बदलाव की शुरूआत 5 मई को मध्य प्रदेश से हुई थी। इसके बाद 7 मई को उत्तर प्रदेश और गुजरात ने भी लगभग 3 साल के लिए श्रम कानूनों में बदलावों की घोषणा कर दी थी। इसका प्रमुख कारण यह है कि महामारी को देखते हुए लागू किये गए देशव्यापी लॉकडाउन के कारण राज्य के सभी उद्योग और व्यवसाय ठप्प हो गए हैं।
- अतः लॉकडाउन खुलने के पश्चात अर्थव्यवस्था को तेज गति देने के लिए इसकी आवश्यकता थी।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों संग बैठक कर उद्योग-धंधों को दोबारा एहतियात के साथ शुरू कराने को लेकर चर्चा की थी। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्रियों से कहा था कि भारत के पास ये अच्छा मौका है कि वह चीन से पलायन करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपनी तरफ आकर्षित करे। प्रधानमंत्री के इस आह्वान के बाद ही मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व गुजरात ने अपने श्रम कानूनों में बदलावों की घोषणा की थी।
- नए निवेश को प्रोत्साहित करने, नए औद्योगिक बुनियादी ढांचे को स्थापित करने और मौजूदा उद्योगों और कारखानों के लाभ के लिए यह जरूरी है कि उन्हें राज्यों में मौजूदा श्रम कानूनों से अस्थायी छूट प्रदान की जाए।

प्रमुख बदलाव

- यूपी, एमपी व गुजरात ने लगभग तीन वर्ष (1000 दिन) के लिए उद्योगों को न केवल श्रम कानून से छूट दी है, बल्कि उनके रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग प्रक्रिया को भी ऑनलाइन व सरल कर दिया है। इसी तर्ज पर अन्य राज्य भी श्रम कानूनों में बदलाव कर रहे हैं।
- नए उद्योगों को अभी श्रम कानून की विभिन्न धाराओं के तहत पंजीकरण कराने और लाइसेंस प्राप्त करने में 30 दिन का वक्त लगता था, अब वह प्रक्रिया 1 दिन में पूरी होगी। इसके साथ ही उद्योगों को उत्पादन बढ़ाने के लिए तीन माह तक शिफ्ट में परिवर्तन करने, श्रमिक यूनियनों को मान्यता देने की अनिवार्यता खत्म करने जैसी कई छूट दी गई हैं।
- यूपी सरकार ने इसके लिए उत्तर प्रदेश टेंपरी एग्जेम्प्शन फ्रॉम सर्टेन लेबर लॉज ऑर्डिनेंस 2020 को मंजूरी प्रदान कर दी है। उत्तर प्रदेश की सरकार के अनुसार श्रमिकों के मूलभूत हितों की रक्षा के लिए श्रम कानूनों में जो उनको संरक्षण प्राप्त है, वह यथावत रहेंगे। इनमें बंधुआ श्रम व उत्पादन अधिनियम, भवन सन्निर्माण अधिनियम (भवन निर्माण में जुटे मजदूरों का पंजीकरण), कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम (किसी आपात स्थिति मे मजदूरों को मुआवजे से संबंधित) व बच्चों व महिलाओं के नियोजन संबंधित श्रम अधिनियम (गर्भावस्था और चाइल्ड लेबर लॉ) यथावत लागू रहेंगे। वेतन अधिनियम के तहत वेतन भुगतान की व्यवस्था भी यथावत रहेगी। वेतन संदाय अधिनियम 1936 की धारा-5 के तहत तय समय सीमा के अंदर वेतन भुगतान का प्रावधान भी लागू रहेगा।
- उत्तर प्रदेश सरकार के अध्यादेश के अनुसार, तीन वर्षीय अवधि में अन्य सभी श्रम कानून निष्प्रभावी हो जाएंगे, जिसमें औद्योगिक विवादों को निपटाने, व्यावसायिक सुरक्षा, श्रमिकों के स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति, ट्रेड यूनियन, अनुबंध श्रमिकों और प्रवासी मजदूरों से संबंधित कानून शामिल हैं। यह अध्यादेश राज्य में मौजूदा व्यवसायों तथा उद्योगों और राज्य में स्थापित होने वाले नए कारखानों दोनों पर लागू होगा।
- मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में अगले 1000 दिन (लगभग ढाई वर्ष) के लिए श्रम कानूनों से उद्योगों को छूट दे दी है। छूट की इस अवधि में केवल औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25 लागू रहेगी। 1000 दिनों की इस अवधि में लेबर इंस्पेक्टर उद्योगों की जांच नहीं कर सकेंगे।
- गुजरात ने 200 दिन ज्यादा के लिए कानूनी छूट की घोषणा की है। गुजरात में उद्योगों को 1200 दिनों (3.2 साल) के लिए लेबर कानून से छूट प्रदान की गई है। नए उद्योगों के लिए 7 दिन में जमीन आवंटन की प्रक्रिया

को पूरा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त नए उद्योगों को काम शुरू करने के लिए 15 दिन के भीतर हर तरह की मंजूरी प्रदान की जाएगी। साथ ही नए उद्योगों को दी जाने वाली छूट उत्पादन शुरू करने के अगले दिन से 1200 दिनों तक जारी रहेगी।

प्रभाव

- जिन राज्यों ने श्रम कानूनों में बदलाव किए हैं वे राज्य अगर चीन से पलायन करने वाली या अन्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लाने में सफल होते हैं तो ये अर्थव्यवस्था और रोजगार दोनों के लिए लाभकारी होगा।
- राज्यों में नए निवेश को प्रोत्साहित करने और नए औद्योगिक बुनियादी ढाँचे की स्थापना करने तथा मौजूदा उद्योगों और कारखानों को लाभ पहुँचाने के लिये यह आवश्यक है कि उन्हें राज्य में मौजूदा श्रम कानूनों से अस्थायी छूट प्रदान की जाए।
- पंजीकरण व लाइसेंसी प्रक्रिया तेज होने से उद्योगों के लिए अब कार्य विस्तार करना आसान होगा। इससे रोजगार भी बढ़ेगा। इसके अलावा काम के घंटे बढ़ाकर लॉकडाउन में कम लेबर से भी काम किया जा सकेगा और सोशल डिस्टेंसिंग भी बरकरार रहेगी।
- उद्योग शुरू होने से राज्य सरकारों को राजस्व प्राप्त होगा, जो कोरोना से जंग लड़ने में सबसे अहम है।

आलोचना

- श्रमिक संगठनों को आशंका है कि उद्योगों को जांच और निरीक्षण से मुक्ति देने से कर्मचारियों का शोषण बढ़ेगा। शिफ्ट व कार्य अवधि में बदलाव की मंजूरी मिलने से हो सकता है कि लोगों को बिना साप्ताहिक अवकाश के प्रतिदिन ज्यादा घंटे काम करना पड़े। हालांकि, इसके लिए ओवर टाइम पेमेंट देना होगा।
- श्रमिक यूनियनों को मान्यता न मिलने से कर्मचारियों के अधिकारों की आवाज कमजोर पड़ेगी। श्रमिक संगठनों को आशंका है कि मजदूरों के काम करने की परिस्थिति और उनकी सुविधाओं पर उनके द्वारा निगरानी खत्म हो जाएगी।
- आलोचकों का मानना है कि ये मजदूरों के साथ विश्वासघात है। कोरोना की आड़ में तीन सालों के लिए श्रम कानून स्थगित करने का उत्तर प्रदेश सरकार का फैसला पूंजीपतियों के आगे मजदूरों को 'बंधुआ' की तरह सौंप देना है। इनमें मिनिमम वेज (न्यूनतम मजदूरी) एक्ट काफी अहम है,जिसके मुताबिक एक तय अमाउंट मजदूरों को देना आवश्यक किया जाता है। सभी उद्योग इसी के तहत ही श्रमिक व मजदूरों का पेमेंट करते हैं लेकिन अब सब अपनी सुविधानुसार करेंगे। इसके अलावा ट्रेड यूनियन एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इक्वल रिम्यूनिरेशन (समान पारिश्रमिक) एक्ट, जर्नलिस्ट एक्ट, बोनस एक्ट, प्रोविडेंट फंड से संबंधित एक्ट समेत तमाम अहम एक्ट अब निष्प्रभावी हो गए हैं जिससे मजदूरों के हितों की रक्षा कैसे होगी।

भारतीय संविधान और श्रम कानून

- श्रम विषय को भारत के संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है, जो विभिन्न श्रम संबंधी मामलों पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को कानून बनाने हेतु अधिकार प्रदान करती है। इसलिए राज्य को कानून बनाने से पहले केंद्र की मंजूरी लेनी पड़ती है। वैश्वीकरण उदारीकरण के साथ ही पूरे विश्व में सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में अत्यधिक बदलाव आए हैं। खुली व्यापार नीति श्रम संबंधी कानूनों में इन बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप अद्यतन करने का समर्थन करती है।
- सभी श्रम संबंधी कानून राष्ट्र के लिए अत्यधिक महत्व के हैं क्योंकि उनका आम आदमी पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। आज की तारीख तक भारतीय उद्योग श्रमिक सघन हैं तथा कामगार देश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिसंपत्ति/मेरूदंड है, जिसके हितों का किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जा सकता है।

आगे की राह

- अनुच्छेद 43-क के अनुसार यह व्यवस्था की गयी है कि राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, स्थापनों या अन्य संगठनों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा या किसी अन्य रीति से कदम उठाएगा। अतः श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना राज्य और केंद्र सरकार का प्रमुख दायित्त्व बन जाता है।
- किसी भी देश के विकास हेतु वहाँ की अर्थव्यवस्था का मजबूत होना आवश्यक है। अर्थव्यवस्था में औद्योगिक उत्पादन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। श्रम, उत्पादन की एक महत्वपूर्ण इकाई है। अतः उत्पादन हेतु आवश्यक है कि श्रम से संबन्धित नियम व विधि इस प्रकार से हों कि एक तरफ जहां श्रमिकों का शोषण ना हो वहीं दूसरी ओर सौहार्दपूर्ण वातावरण में उत्पादन व औद्योगिक विकास संभव हो सके। वर्तमान श्रम नियमों व विधि को इस आदर्श स्थिति को ले जाना ही श्रम सुधार है।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न मुद्दे।
- केन्द्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय।

प्र. विभिन्न राज्यों द्वारा किए गए श्रम कानूनों में बदलाव से व्यवसायों और उद्योगों को होने वाले लाभों को बतायें।

02 अफगानिस्तान शांतिवार्ता और भारत का पक्ष

चर्चा का कारण

- हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सचिवालय द्वारा बुलाई गई आभासी चर्चा या मीटिंग में '6+2+1 ग्रुप' ने भाग लिया। इस आभासी चर्चा का उद्देश्य था कि अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने हेतु किस प्रकार के क्षेत्रीय प्रयासों की आवश्यकता है।

परिचय

- अफगानिस्तान, एक लम्बे समय से गृह युद्ध एवं आंतकवादी गतिविधियों का सामना कर रहा है। अब जब अमेरिका अफगानिस्तान से निकलने की कोशिश में लगा हुआ है तथा कोविड-19 महामारी ने वहाँ की स्थिति को और गंभीर बना दिया है तो ऐसे में संयुक्त राष्ट्र सचिवालय ने '6+2+1 ग्रुप' की आभासी मीटिंग को आयोजित किया ताकि अफगानिस्तान में गहराती चुनौतियों से निपटा जा सके।

6+2+1 ग्रुप

- '6+2+1 ग्रुप' में निम्नलिखित देश शामिल हैं-
  - छह ऐसे देश हैं, जिनकी सीमा अफगानिस्तान से लगती है, यथा-पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और चीन।
  - दो अन्य वैश्विक शक्तियाँ अमेरिका और रूस हैं।
  - अंत में एक अफगानिस्तान स्वयं है।
- इस प्रकार देखा जा सकता है कि '6+2+1 ग्रुप' में नौ देश शामिल हैं।

'6+2+1 ग्रुप' की मीटिंग में भारत शामिल नहीं

- इन नौ देशों के समूह अर्थात् '6+2+1 ग्रुप' की मीटिंग में भारत को आमंत्रित नहीं किया गया। इसका कारण बताया गया कि भारत की सीमा अफगानिस्तान से नहीं लगती है; जबकि यह सर्वविदित है कि जम्मू-कश्मीर संघ शासित प्रदेश के माध्यम से भारत की सीमा अफगानिस्तान से लगती है, हालाँकि अभी यहाँ पाकिस्तान का अवैध कब्जा है (गिलगिट-बालिस्तान क्षेत्र में)।
- हालाँकि विदेश नीति के विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को '6+2+1 ग्रुप' की मीटिंग में न बुलाये जाने के कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं; जैसे कि भारत ने हमेशा अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार के साथ वार्ता को प्राथमिकता दी है। भारत ने तालिबान के साथ किसी भी तरह की बातचीत का विरोध किया है; जबकि इस समय अमेरिका, अफगानिस्तान से बाहर निकलने हेतु तालिबान से बातचीत कर रहा है। अत: यदि भारत को '6+2+1 ग्रुप' की मीटिंग में अमेरिका आमंत्रित करने हेतु प्रयत्न करता तो असहजता की स्थित बन सकती थी।
- इसके पहले भी भारत को अफगानिस्तान में शांति एवं स्थायित्व लाने की कई महत्त्वपूर्ण बैठकों में शामिल नहीं किया गया है-
  - सन् 2001 में अमेरिका द्वारा तालिबान को अफगानिस्तान की सत्ता से उखाड़ फेकने के बाद वहाँ शांति स्थापित करने हेतु विभिन्न देशों की जर्मनी में बैठक हुई किन्तु भारत को नहीं बुलाया गया। हालाँकि भारत ने अपनी कूटनीति का परिचय देते हुए अफगानिस्तान की अंतरिम सरकार का राष्ट्रपति अपने समर्थक हामिद करजई को बनवाया।
  - अफगानिस्तान का भविष्य निर्धारित करने हेतु सन् 2010 में लंदन सम्मेलन (Conference) हुआ लेकिन भारत को आमंत्रित नहीं किया गया। इसके जवाब में भारत ने अफगानिस्तान के साथ सन् 2011 में ऐतिहासिक 'रणनीतिक साझेदारी अनुबंध' (Strategic Partnership Agreement) किया। यह अफगानिस्तान का किसी देश के साथ अपने आप में ऐसा पहला अनुबंध था।

भारत के लिए अफगानिस्तान का महत्त्व

- भारत के लिए अफगानिस्तान के महत्त्व को तीन भागों में बाँटकर देखा जा सकता है :

  (i) भू-राजनीतिक (Geo-political)

  (ii) भू-रणनीतिक (Geo-strategic)

  (iii) भू-आर्थिक (Geo-economic)

भू-राजनीतिक

- अफगानिस्तान के माध्यम से भारत अपनी सॉफ्ट पॉवर (Soft Power) को प्रदर्शित करता है। अफगानिस्तान में भारत की बॉलीवुड मूवी, धारावाहिक, क्रिकेट आदि को खूब पसंद किया जाता है। इसके अतिरिक्त, अफगानी लोग भारत की विविधता एवं धार्मिक सहिष्णुता से काफी प्रभावित रहते हैं।
- अफगानिस्तान से कई लोग भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि हेतु आते हैं।
- भारत ने अफगानिस्तान की शिक्षा व विकास में योगदान करके काफी सॉफ्ट पॉवर को अर्जित किया है।
- कुछ विशेषज्ञ यह भी कह रहे हैं कि जब यूएसए, अफगानिस्तान से बाहर जाये तो भारत को वहाँ अपनी सेना भेजनी चाहिए, ताकि तालिबान वहाँ की सत्ता पर काबिज न होने पाये। इससे भारत अपनी हार्ड पॉवर को प्रदर्शित कर सकता है।
- अफगानिस्तान एवं केन्द्रीय एशिया क्षेत्र संसाधन प्रचुर क्षेत्र हैं, इसलिए यहाँ हमेशा से बड़ी शक्तियों ने ग्रेट गेम्स खेले हैं। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और रूस उलझे हुए थे और अब वहाँ कई देश (या एक्टर्स) अपनी हार्ड पॉवर के तहत प्रयत्नशील हैं।

भू-रणनीतिक

- यदि भारत का पाकिस्तान के साथ परम्परागत युद्ध (Conventional) होता है तो भारत अफगानिस्तान की धरती से पाकिस्तान के पश्चिमी सीमा पर नया मोर्चा खोल सकता है।
- अभी भारत और पाकिस्तान के बीच छद्म युद्ध (Proxy War) कश्मीर में चल रहा है जिसमें भारत को काफी नुकसान होता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह छद्म युद्ध यदि पाकिस्तान की धरती 'बलूचिस्तान' में होगा तो भारत बढ़त की स्थिति में होगा और इसके लिए भारत का अफगानिस्तान पर प्रभुत्व होना अति आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि बलूचिस्तान में स्वतंत्रता की माँग उठ रही है जिसके लिए कई संगठन हथियार उठाये हुए हैं।

भू-आर्थिक

- अफगानिस्तान की स्थिति ऐसी है कि भारत यहाँ से केन्द्रीय एशियाई देशों एवं रूस में आसानी से पहुँच सकता है। अफगानिस्तान के पूर्व में पूर्वी एशिया, उत्तर में केन्द्रीय एशिया और पश्चिम में पश्चिमी एशिया है; इस प्रकार अफगानिस्तान एशिया के तीन क्षेत्रों को आपस में जोड़ता है।
- अफगानिस्तान एक संसाधन प्रचुर देश है। तापी गैस पाइपलाइन अफगानिस्तान से होकर गुजरेगी और यह तभी सम्भव हो पायेगा जब अफगानिस्तान में शांति होगी। उल्लेखनीय है कि तापी गैस पाइपलाइन तीन देशों तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत की महत्त्वाकांक्षी योजना है। यदि यह गैस लाइन बन जाती है तो भारत को काफी सस्ती गैस प्राप्त होगी।
- भारत के पश्चिम में ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मिलकर सुनहरा अर्द्धचंद्राकार (Golden Crescent) बनाते हैं क्योंकि इन तीनों देशों में अफीम की खेती होती है। सुनहरा अर्द्धचंद्राकार के माध्यम से भारत के पंजाब आदि राज्यों में ड्रग की समस्या उत्पन्न होती है, अतः इससे निजाद पाने हेतु अफगानिस्तान में भारत की उपस्थिति महत्त्वपूर्ण है।

भारत-अफगानिस्तान संबंध

- भारत और अफगानिस्तान के संबंध ऐतिहासिक हैं। सोवियत हस्तक्षेप (1779-89) के दौरान, अफगानिस्तान के सोवियत समर्थित लोकतांत्रिक गणराज्य को मान्यता प्रदान करने वाला एकमात्र दक्षिण-एशियाई देश भारत था। सोवियत बलों के चले जाने के बाद 1990 के दशक में भारत, तालिबान विरोधी 'उत्तरी गठबंधन' के प्रमुख समर्थकों में से एक बन गया। सन् 2005 में भारत ने सार्क संगठन में अफगानिस्तान की सदस्यता का प्रस्ताव दिया।
- सन् 2011 में भारत ने अफगानिस्तान के साथ रणनीतिक साझेदारी अनुबंध किया। इसके माध्यम से भारत द्वारा अफगानिस्तान की अवसंरचना एवं संस्थानों के पुनर्निमाण, शिक्षा व तकनीकी विकास आदि हेतु सहायता दी जा रही है।

अफगानिस्तान के पुनर्निमाण में भारतीय योगदान

- भारत ने अफगानिस्तान तक आसान पहुँच बनाने हेतु चाबहार बंदरगाह के निर्माण में योगदान दिया है। चाबहार से अफगानिस्तान को जोड़ने हेतु सड़कें एवं रेल लाइनें भी बिछाई गयी हैं।
- भारत ने सामरिक रूप से महत्त्वपूर्ण जारंज-डेलाराम राजमार्ग के विकास में योगदान दिया है। इसके अतिरिक्त अफगानिस्तान के संसद भवन, सलामा बांध (भारत-अफगानिस्तान मैत्री बाँध), काबुल तक के लिए ट्रांसमिशन लाइनें, शिक्षा व स्वास्थ्य संरचना आदि के निर्माण में भी भारत ने उल्लेखनीय योगदान दिया है।
- अफगानिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स, शिक्षक एवं दूसरे प्रोफेशनल्स भारत में ट्रेनिंग हेतु आते हैं।
- भारत ने अफगानिस्तान की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु लगातार प्रयास किये हैं।
- कोविड-19 महामारी के दौर में भारत ने अफगानिस्तान को खाद्य, स्वास्थ्य आदि में सहायता बढ़ा दी है।
- भारत ने अफगानिस्तान में शांति हेतु हमेशा 'अफगान के नेतृत्व वाली, अफगान के स्वामित्व वाली और अफगान नियंत्रित' (Afgan-led, Afgan-owned, Afgan-controlled) नीति का समर्थन किया है।

चुनौतियाँ

- अफगानिस्तान में सबसे बड़ी चुनौती वहाँ व्याप्त आतंकवाद से है। तालिबान लगातार हिंसक घटनाओं को अंजाम देता रहता है। इसके अतिरिक्त अन्य आतंकी संगठन भी सक्रिय हैं, यथा-अलकायदा, इस्लामिक स्टेट आदि।
- पाकिस्तान हमेशा से अफगानिस्तान की धरती को भारत के खिलाफ आंतकी गतिविधियों को चलाने हेतु इस्तेमाल करता आया है। अभी भी वह यही चाहता है कि अफगानिस्तान में उसकी कठपुतली सरकार बैठे और उसके इशारे पर भारत को नुकसान पहुँचाया जाये।
- दो-तीन महीने पहले यूएसए और तालिबान के बीच समझौता हुआ था जिसमें अफगानिस्तान में शांति एवं स्थायित्व हेतु कई शर्तें थीं; यथा-अफगान सरकार एवं तालिबान आपस में कैदियों की रिहाई करें, यूएसए अपनी फौजें अफगानिस्तान से हटायेगा तथा बदले में तालिबान अफगानिस्तान की धरती को यूएसए के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा, अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार के स्थापित होने में तालिबान सहयोग देगा इत्यादि। किन्तु इस समझौते का अभी भी सही से पालन नहीं हो पा रहा है।
- विशेषज्ञों का कहना है कि यूएसए के अफगानिस्तान से जाने के बाद तालिबान फिर से वहाँ की सत्ता पर काबिज हो सकता है।
- 2019 में अफगानिस्तान में राष्ट्रपति चुनाव हुए थे जिसमें अशरफ गनी जीते थे किन्तु अब्दुल्ला-अब्दुल्ला ने इन चुनावों के परिणामों को मानने से इनकार कर दिया और समानान्तर सरकार बनायी है। लोकतांत्रिक नेताओं की इस लड़ाई में तालिबान और मजबूत हो सकता है।

सुझाव

- भारत को विश्व बिरादरी को एहसास दिलाना होगा कि उसके बिना अफगानिस्तान में शांति व स्थायित्व मुश्किल है।
- अफगानिस्तान मुद्दे के लिए अमेरिका और ईरान के बीच भारत वार्ता करा सकता है।
- भारत को अपने पानीपत सिन्ड्रोम (Panipat Syndrome) से बचाना होगा और अफगानिस्तान के लिए पहले से ही उपयुक्त रणनीति बनानी होगी ताकि राष्ट्रीय हितों को साधा जा सके। उल्लेखनीय है कि ऐतिहासिक रूप से भारत के शासक तभी सक्रिय होते थे जब खैबर दर्रे आदि के माध्यम से आक्रांता पानीपत तक आ जाते थे, इसे भारतीय इतिहास में पानीपत सिन्ड्रोम कहा जाता है।

आगे की राह

- जैसा कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने आह्वान किया है कि कोविड-19 महामारी के दौर में विश्व के हर हिस्से में संघर्ष-विराम होना चाहिए और इस बीमारी से सभी को लड़ना चाहिए; अतः अफगानिस्तान में भी सभी हितधारकों को संघर्ष-विराम को सुनिश्चित कराने हेतु तत्पर होना चाहिए और इसमें भारत अग्रणी भूमिका निभा सकता है।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- भारत एवं इसके पड़ोसी-संबंध।

प्र. भारत-अफगानिस्तान के संबंधों का उल्लेख करते हुए बतायें कि भारत के लिए अफगानिस्तान महत्त्वपूर्ण क्यों है? साथ ही अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने हेतु अपने मौलिक उपाय सुझाएँ।

03 परमाणु अप्रसार संधि के 50 वर्षः एक मूल्यांकन

चर्चा का कारण

- हाल ही में परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) को लागू या प्रभावी (Effective) हुए 50 वर्ष पूरे हुए हैं।

परमाणु अप्रसार संधि

- परमाणु अप्रसार संधि (Non-Proliferation Treaty-NPT) का पूरा नाम 'परमाणु हथियारों के अप्रसार पर संधि' (Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons) है।
- दरअसल 1945 में अमेरिका द्वारा परमाणु हथियार के लिए प्रथम परीक्षण किया गया तो पूर्व सोवियत संघ ने भी 1949 में परमाणु हथियार परीक्षण किया। इससे परमाणु परीक्षण की होड़ लग गयी, अतः इसे रोकने हेतु 1968 में परमाणु अप्रसार संधि पर सभी देशों ने हस्ताक्षर किया और 1970 से यह प्रभावी हुई। 11 मई, 1995 को इस संधि को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया है।
- इस संधि में विश्व के अधिकतर देश सदस्य हैं, वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 190 है। हालाँकि इस संधि में भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया, इजराइल और दक्षिण सूडान जैसे कुछ देश शामिल नहीं हैं। उत्तर कोरिया ने आरम्भ में इस संधि पर हस्ताक्षर किया था किन्तु बाद में सन् 2003 में वह इससे बाहर निकल गया।

एनपीटी के पंचवर्षीय सम्मेलन

- परमाणु अप्रसार संधि के 1970 में प्रभावी होने के पश्चात संधि संचालन समीक्षा के लिए प्रत्येक पाँच वर्ष के अन्तराल पर सम्मेलन आयोजित किये जाते हैं ताकि परमाणु अप्रसार व्यवस्था को स्थिरता और सबलता प्रदान की जा सके।
- एनपीटी के अभी तक आयोजित पंचवर्षीय सम्मेलनों में से प्रमुख सम्मेलन हैं-1995, 2005, 2010 और 2015।
- परमाणु अप्रसार संधि के पाँच वर्षीय सम्मेलनों का दायित्व इस बात का आकलन भी करता है कि संधि की शर्तों को भलीभाँति कार्यान्वित किया गया है अथवा नहीं, इसके साथ ही यह अधूरे कार्यों को पूर्ण करने हेतु आगे की राह भी बनाता है।

एनपीटी का महत्त्व

- परमाणु अप्रसार संधि का महत्त्व इस बात से इंगित होता है कि किसी भी अन्य हथियार नियंत्रण एवं निरस्त्रीकरण संधि या समझौते की तुलना में इसे अधिक देशों द्वारा अनुमोदित किया गया है।

- एनपीटी एकमात्र ऐसी संधि है जो परमाणु हथियार सम्पन्न देशों सहित सभी सदस्यों द्वारा निरस्त्रीकरण के लक्ष्य हेतु बाध्यकारी प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करती है अर्थात् एनपीटी कानूनी रूप से एक बाध्यकारी समझौता है।

एनपीटी के आधार स्तम्भ

- परमाणु अप्रसार संधि तीन महत्त्वपूर्ण आधार स्तम्भों पर टिकी हुई है-
  - (i) अप्रसार (Non-proliferation)
  - (ii) नाभिकीय ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग (Peaceful Use of Nuclear Energy)
  - (iii) निरस्त्रीकरण (Disarmament)

अप्रसार

- एनपीटी के तहत माने गये परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्रों के अतिरिक्त अन्य राष्ट्रों को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना; क्योंकि जितना अधिक देशों के पास परमाणु हथियार होंगे दुनिया को उतना ज्यादा खतरा होगा।
- परमाणु अप्रसार संधि में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पाँच स्थायी सदस्यों (यथा-यूएसए, रूस, चीन, फ्राँस और यूनाइटेड किंगडम) को परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्र माना गया है।

नाभिकीय ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग

- परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्रों ने गैर-परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्रों के लिए एनपीटी के तहत यह प्रतिबद्धता जतायी कि वे इन राष्ट्रों को परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग हेतु तकनीकी का हस्तातंरण करेंगे।
- परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्रों द्वारा नाभिकीय ऊर्जा की तकनीक के हस्तांतरण से विकासशील देश भी अपना विकास सुनिश्चित कर पायेंगे क्योंकि आर्थिक एवं अन्य लगभग सभी गतिविधियों के लिए ऊर्जा उपलब्धता अति आवश्यक है।

निरस्त्रीकरण

- जिन देशों (सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य) ने परमाणु हथियारों को प्राप्त कर लिया है वे भी धीरे-धीरे अपने हथियारों को चरणबद्ध तरीके से नष्ट करेंगे।

एनपीटी का विश्लेषण

- परमाणु अप्रसार संधि अपने प्रमुख उद्देश्य निरस्त्रीकरण (Disarmament) को पाने में अभी तक असफल रही है। संधि के लागू होने पर परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्रों ने यह प्रतिबद्धता जतायी थी कि वे अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को धीरे-धीरे नष्ट करेंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्रों ने अपने परमाणु हथियारों को नष्ट करने की बजाय समय के साथ संवर्द्धित किया है।
- आज अमेरिका और रूस के पास सम्मिलित रूप से दुनिया के 93% परमाणु हथियार हैं और वर्तमान में ये देश परमाणु हथियारों को उत्पादित करने की होड़ में शामिल होते दिख रहे हैं। इसके अतिरिक्त, चीन जैसी महाशक्ति का भी कुछ ऐसा ही रवैया है। जब विश्व की ये बड़ी शक्तियाँ एनपीटी का सदस्य होते हुए भी अपनी जिम्मेदारी का ठीक से निर्वहन नहीं कर रहीं तो इस संधि की प्रासंगिकता पर सवालिया निशान खड़े होते हैं।
- विशेषज्ञों का कहना है कि परमाणु अप्रसार संधि के लागू रहते हुए भी कई देशों ने परमाणु हथियार हासिल किये हैं, यथा- भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया, इजराइल आदि। हालाँकि उपर्युक्त देश एनपीटी के सदस्य नहीं हैं, फिर भी एनपीटी के परमाणु अप्रसार के लक्ष्यों को चोंट पहुँची है।
- इस संधि में भारत जैसे शांतिपूर्ण देशों की चिंताओं को भी इतने वर्षों में हल नहीं किया गया। भारत की सबसे बड़ी चिंता थी कि परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्र अपने हथियारों को नष्ट करने की एक समयसीमा रखें लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यही कारण था कि भारत ने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किये। भारत इसे भेद-भावपूर्ण संधि मानता है।

चुनौतियाँ

- परमाणु हथियारों से संबंधित सबसे बड़ी चुनौती इनकी सुरक्षा की है। यदि कोई राष्ट्र कमजोर हुआ या उससे परमाणु हथियारों की सुरक्षा में चूक हो गयी तो ये हथियार नॉन-स्टेट एक्टर्स (यथा-आतंकवादी आदि) के हाथों में पड़ सकते हैं, जो इनका उपयोग समूची मानवता के विनाश में कर सकते हैं।
- कुछ विशेषज्ञ यह भी चिंता जता रहे हैं कि जिस तरह से शीत युद्ध के समय यूएसए और सोवियत संघ के बीच आर्म्स रेस (Arms Race) देखने को मिली थी, वही रेस वर्तमान में यूएसए और चीन के बीच देखने को मिल सकती है, क्योंकि व्यापार युद्ध और कोविड-19 महामारी ने दोनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ा दिया है। इसके अतिरिक्त, चीन ने अभी परमाणु परीक्षण भी किया है।
- हाल ही में यूएसए और रूस दोनों देश 'यूएस-रूस इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स टीटी' से बाहर आ गये हैं। इसके अतिरिक्त, यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने साफ तौर पर कहा है कि यूएसए 'न्यू स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी' (New START) से भी बाहर आ जायेगा, जिसका सन् 2021 में पुनर्नवीनीकरण होना है। यूएसए, रूस पर कम क्षमता (Low Yield) के परमाणु परीक्षण करने का आरोप लगाता है।
- यूएसए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 30 वर्ष के आधुनिकीकरण योजना (Modernisation Plan) की घोषणा की है जिसके तहत परमाणु परीक्षण स्थलों को पुनर्जीवित किया जायेगा।
- जब से सन् 2015 के समझौते से यूएसए बाहर निकला है, तब से ईरान भी परमाणु हथियारों को विकसित करने की योजना बना रहा है।
- विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तर कोरिया, पाकिस्तान आदि जैसे राष्ट्र बार-बार परमाणु हथियारों को इस्तेमाल की धमकी देते हैं जो इनके गैर-जिम्मेदारानापूर्ण बर्ताव को प्रदर्शित करता है।

आगे की राह

- सबसे अधिक परमाणु हथियारों को रखने वाले देशों (अमेरिका एवं रूस) को परमाणु हथियारों को कम करने वाली द्विपक्षीय संधियों की पुनर्बहाली करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, यूएसए एवं रूस के अलावा फ्रांस, यूके और चीन सभी को मिलकर ऐसी नीति बनानी चाहिए जिससे कि समबद्ध तरीके से परमाणु हथियार नष्ट किये जा सकें। जब ये देश अपने परमाणु हथियारों को नष्ट करेंगे तभी भारत, पाकिस्तान आदि देश भी ऐसा करने हेतु प्रोत्साहित होंगे।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/ अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते।

प्र. परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) क्या है? इसके 1970 के प्रभावी होने के बाद से अब तक के सफर का संक्षिप्त में मूल्यांकन कीजिए।

04 कोरोना वायरस से बदलता वैश्विक परिदृश्य और भारत

चर्चा का कारण

- हाल ही में कोविड-19 के कारण परिवर्तित हो रहे नए विश्व व्यवस्था में वैश्विक महाशक्तियों को जल्द ही भारत को यूएनएससी क्लब में शामिल करने की अत्यधिक आवश्यकता है, क्योंकि भारत, चीनी प्रभाव और शक्ति पर अंकुश लगाने के लिए सही दावेदार साबित हो सकता है। Covid-19 सम्भवतः यूएनएससी की स्थायी सीट के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकता है।

पृष्ठभूमि

- भारत लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधार के लिए ब्राजील, जर्मनी और जापान के साथ जोर देकर कहता रहा है कि वह संयुक्त राष्ट्र की उच्च तालिका में स्थायी सदस्य के रूप में एक जगह के हकदार है। हालाँकि भारत सात बार (1950-51, 1967-68, 1972-73, 1977-78, 1984-85, 1991-92 और 2011-12) सुरक्षा परिषद का गैर-स्थायी सदस्य रहा है। 2011-12 के लिए भारत ने कजाकिस्तान के अपनी उम्मीदवारी से बाहर होने के बाद 190 वोटों में से 187 वोट जीते।
- गौरतलब है कि पिछले वर्ष ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गैर-स्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी को एशिया प्रशांत समूह द्वारा सर्वसम्मति से समर्थन दिया गया है जिसमें पाकिस्तान सहित 55 देश शामिल हैं। समर्थन, का अर्थ है कि भारत "क्लीन स्लेट" उम्मीदवारी है, अर्थात, अगले साल 2021-22 के कार्यकाल के लिए पाँच गैर-स्थायी सदस्यों के लिए होने वाले चुनावों में समूह से कोई अन्य प्रतियोगी नहीं है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) संयुक्त राष्ट्र के अंगों में से एक है और इसे अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रखरखाव के लिए गठित किया गया है।
- इसकी शक्तियों में शांति अभियानों की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की स्थापना और सैन्य परिषद के प्रस्तावों के माध्यम से सैन्य कार्रवाई को अधिकृत करना शामिल है। यह संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र निकाय है, जिसमें सदस्य राज्यों को बाध्यकारी संकल्प जारी करने का अधिकार है।

सदस्य

- सुरक्षा परिषद में पंद्रह सदस्य होते हैं। रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका, पांच स्थायी सदस्यों के रूप में कार्य करते हैं। ये स्थायी सदस्य नए सदस्य राज्यों या महासचिव के उम्मीदवारों के प्रवेश, सहित सुरक्षा परिषद के किसी भी प्रस्ताव को वीटो कर सकते हैं।
- सुरक्षा परिषद में 10 गैर-स्थायी सदस्य भी हैं, जिन्हें दो साल की सेवा के लिए क्षेत्रीय आधार पर चुना जाता है प्रत्येक वर्ष, महासभा दो वर्ष के कार्यकाल के लिए कुल 10 में से पाँच गैर-स्थायी सदस्यों का चुनाव करती है।

वोट

- चाहे कोई भी देश “क्लीन स्लेट” का उम्मीदवार हो और अपने समूह द्वारा समर्थन किया गया हो, उसे जनरल असेंबली सत्र में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई वोटों को सुरक्षित रखने की आवश्यकता होती है (न्यूनतम 129 वोट यदि सभी 193 सदस्य राज्य भाग लेते हैं)।
- जब गैर-स्थायी सीटों के लिए चुनाव लड़ा जाता है, तो इसे कई राउंड में सम्पन्न किया जा सकता है। 1975 में, भारत और पाकिस्तान के बीच एक प्रतियोगिता हुई, जो आठ राउंड तक चली गई। पाकिस्तान ने उस साल यह सीट जीती थी।

सुधार प्रस्ताव

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) का सुधार, पांच प्रमुख मुद्दों को शामिल करता है: सदस्यता की श्रेणियां, पांच स्थायी सदस्यों द्वारा प्राप्त वीटो का प्रश्न, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, सुरक्षा परिषद के आकार का विस्तार और इसकी कार्य विधि और सुरक्षा परिषद व संयुक्त राष्ट्र महासभा के बीच संबंध। अधिक स्थायी सदस्यों को स्वीकार करने का भी प्रस्ताव है।

भारत की दावेदारी

- यूएन के संस्थापक सदस्यों में से एक भारत, लंबे समय से यूएनएससी में एक स्थायी सीट का दावा करता रहा है। यूएनएससी के पांच स्थायी सदस्यों में से चार द्वारा एक स्थायी सीट के लिए भारत को समर्थन मिल गया है। परन्तु चीन एकमात्र देश है जिसने अपनी वीटो पावर का उपयोग करके भारत के प्रवेश को रोक दिया है। हालाँकि वर्तमान में पारंपरिक महाशक्तियां, COVID-19 के प्रसार में चीन की मूल भागीदारी शामिल होने से नाराज हैं और तनाव तब और बढ़ गया, जब चीन ने स्पष्ट

रूप से मांग की कि COOID-19 परीक्षण किट खरीदने के लिए फ्रांस Huawei को 5G अनुबंध दे।

- इसके अलावा भारत संयुक्त राष्ट्र पीस कीपिंग (शान्ति सम्बन्धी अभियान) अभियानों में सवार्धिक योगदान देने वाला देश है। जनसंख्या, क्षेत्रीय आकार, जीडीपी आर्थिक क्षमता, सम्पन्न विरासत और सांस्कृतिक विविधता इन सभी पैमानों पर भारत यूएनएससी के मानकों पर खरा उतरा है।
- भारत 1.3 बिलियन की आबादी और एक ट्रिलियन डॉलर से भी अधिक की अर्थव्यवस्था वाला एक परमाणु शक्ति सम्पन्न देश है।
- भारत सात बार यूएनएससी, जी-77 और जी-4 का सदस्य रहा है इसलिए स्थायी सदस्यता की उसकी मांग तार्किक है।
- वर्तमान वैश्विक परिदृश्य को देखें तो, महामारी के लिए भारत की प्रतिक्रिया, यकीनन सर्वश्रेष्ठ में से एक रही है। भारत ने बड़े पैमाने पर सफल लॉकडाउन भी लगाया है और कोविड-19 के प्रसार को धीमा करने में सापेक्ष सफलता भी प्राप्त की है।
- महामारी से निपटने में जी 20 और साथ ही सार्क देशों का नेतृत्व करने के लिए भारत सरकार के प्रयास, इस महत्वपूर्ण समय में नेता बनने की उसकी इच्छा को दर्शाते हैं। भारत के नेतृत्व की न केवल छोटे पड़ोसी देशों, बल्कि ऑस्ट्रेलिया ने भी प्रशंसा की है।
- चीन ने पहले ही 2021 में शुरू होने वाले दो साल के लिए भारत को UNSC सीट के अस्थायी सदस्य के रूप में प्रस्तावित किया है। लेकिन, इस बात की अधिक संभावना है कि जब तक दुनिया COVID-19 से उबरती है, तब तक तस्वीर पूरी तरह से अलग होगा। चीन निश्चित रूप से कठिन स्थिति में होगा, क्योंकि महामारी में इसकी भूमिका के बारे में सवाल उठते रहेंगे। अकसर, अतीत में चीन ने कई प्रस्तावों को अवरुद्ध करने के लिए अपनी वीटो शक्ति का उपयोग किया है ताकि खुद को लाभ मिल सके। यदि भारत को भी समान पहुंच प्रदान की जाती है, तो यह विश्व राजनीति में शक्ति संतुलन में बदलाव के मामले में एक गेम-परिवर्तक हो सकता है।

चुनौतियाँ

- संयुक्त राष्ट्र ने भविष्यवाणी की है, कि आगामी वित्तीय वर्ष के लिए, चीन और भारत को छोड़कर, दुनिया के हर प्रमुख देश में मंदी का सामना करने की संभावना है। पिछले साल से इस साल तक दुनिया में 178 नए अरबपति देखे गए, जिनमें से 80 चीन के थे।
- दुनिया के शीर्ष 100 अरबपतियों ने छह नए चीनी लोगों को सूची में शामिल किया। उनमें से अधिकांश ने वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने वाली कंपनियों में शेयर खरीदे थे, जो अब दुनिया भर में लॉकडाउन के कारण प्रमुख मांग में हैं, उदाहरण के लिए, जूम (डिजिटल मीटिंग ऐप), या कुछ दवाएं, मास्क या वेंटिलेटर बनाने वाली कंपनियां।
- वास्तव में, इस साल 31 जनवरी से 31 मार्च तक महामारी की शुरुआत के बाद से, दुनिया के शीर्ष 100 अरबपति अपनी संपत्ति का 400 बिलियन डॉलर से अधिक खो चुके हैं। अजीब बात है कि मार्च के अंत में उन 100 में से केवल नौ चीनी थे।
- इसके अलावा, अति-आवश्यक सुधारों के साथ, स्वास्थ्य और शिक्षा की पहल को तेज करते हुए भारत सरकार को महामारी के रूप में व्यापक रूप से सामने आई मानव पूंजी को अपग्रेड करने से भी नहीं चूकना चाहिए।
- न केवल इन्फ्रास्ट्रक्चर बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर वर्कर्स के स्वास्थ्य, शिक्षा और इसके निर्माण में निवेश को प्राथमिकता देना होगा।
- वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में चीन के 28, थाईलैंड के 40, इंडोनेशिया के 50 और वियतनाम के 67 की तुलना में, भारत 68 वें स्थान पर है। भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह अपनी स्थिति में सुधार करें और महामारी के बाद वैश्विक मंच पर अधिक शक्तिशाली भूमिका हासिल करे।

निष्कर्ष

- 2012 में, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) की रिपोर्ट में कहा गया कि आर्थिक संकटों ने देशों में व्यापक सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य किया है। ओईसीडी और ब्रिक्स देशों में 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद यह देखा गया था।
- भारत में, 1991 के भुगतान संकट के संतुलन ने उदारीकरण को जन्म दिया, साथ ही 1997 के एशियाई वित्तीय संकट ने, निजी क्षेत्र की सरकार के साथ राज्य-संचालित कंपनियों में हिस्सेदारी को बढ़ा दिया।
- वर्तमान में भारत को भूमि और श्रम बाजार, भौतिक बुनियादी ढांचे (बिजली, पानी, सड़क, रसद और परिवहन) की उपलब्धता, और विशेष रूप से व्यापार करने में आसानी, विनियमन, कराधान, लाइसेंस अधिग्रहण पर नीति को सुदृढ, सुनिश्चित व लोचदार करने के लिए मजबूत प्रबन्धन की आश्यकता है।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/ अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते।
- भारत के हितों, भारतीय डायसपोरा पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव।

प्र. कोविड-19 संभवत: यूएनएससी की स्थायी सीट हेतु भारत के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकता है। समीक्षा कीजिए।

05 महामारी के दौरान पेटेंट पूल: वर्तमान समय की मांग

चर्चा का कारण

- प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। कोविड-19 के कारण स्वास्थ्य संकट में बौद्धिक संपदा (आईपी) की भूमिका को महत्व दिया जाना आवश्यक है साथ ही स्वास्थ्य संबंधी विचारों के साथ पेटेंट कानूनों का संतुलन बनाना भी जरूरी है।

परिचय

- विश्व बौद्धिक सम्पदा दिवस मनाने की शुरूात वर्ष 2000 में विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन (WIPO) द्वारा की गयी थी। इसका उद्देश्य पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क तथा डिजाईन के महत्त्व के बारे में जागरूकता फैलाना है।
- 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1970 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना के लिए समझौता लागू हुआ था। विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है, इस वैश्विक संस्था का कार्य बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा तथा संवर्द्धन करना है।
- इस वैश्विक संस्था की स्थापना 1967 में की गयी थी, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। इसका उद्देश्य रचनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देना है तथा विश्व भर में बौद्धिक सम्पदा के अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य करना है। वर्तमान में इस संस्था में कुल 188 देश शामिल हैं। भारत भी इसका सदस्य है।

दवाओं के अनुसंधान और पेटेंट अधिकार

- कोविड-19 के प्रकोप के बाद महामारी के उपचार के लिए दवाओं के अनुसंधान और पेटेंट अधिकार की रक्षा जैसे मुद्दे काफी अहम हैं। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूएचओ) के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी (बौद्धिक संपदा) राइट्स 'ट्रिप्स' समझौते से जुड़े हैं, जो दोहा की बैठक में किया गया था। हालांकि इसमें सदस्य देशों को रियायत दी गई थी कि वे अपने नागरिकों के स्वास्थ्य के अधिकार का संरक्षण कर सकते हैं।

- दुनियाभर में रिसर्च टीमें कोविड-19 की वैक्सीन बनाने में जुटी हैं। कई सरकारी और प्राइवेट संस्थाओं ने कोविड-19 का इलाज ढूंढ लेने का दावा भी किया, लेकिन अभी तक किसी की भी पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो सकी है।
- कोरोना महामारी के समय मानव जीवन के फिर से सामान्य होने के लिए टीके या दवाएं एकमात्र स्थायी समाधान हैं। हालांकि, जानकारों के अनुमानों के अनुसार, किसी भी वैक्सीन/दवा को उपलब्ध होने में कम से कम 6-10 महीने लगेंगे। यहाँ तक कि जब किसी वैक्सीन/दवा के विपणन की मंजूरी दी जाती है, तो इसे दुनिया भर में तुरंत उपलब्ध कराया जाना असंभव होगा।
- ऐसा इसलिए, क्योंकि वाणिज्यिक उत्पादन की मंजूरी मिलने के बाद भी, एक देश से बाकी दुनिया के लिए उत्पाद उपलब्ध होने के लिए समय के साथ प्रत्येक देश द्वारा उस दवाई या टीके के प्रयोग करने में अनुमोदन की आवश्यकता होगी।
- फिर देशों को दवा के त्वरित निर्माण और विपणन के लिए कमर कसनी होगी। ऐसा होने के लिए, नवाचारियों, निर्माताओं और आपूर्ति श्रृखलाओं के बीच निरंतर संवाद करना पड़ता है। इसके लिए निजी कंपनियों, सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा बड़े पैमाने पर प्रयासों की आवश्यकता है।

एक पेटेंट पूल की आवश्यकता

- एक पेटेंट पूल बनाकर नवीन उत्पादों के एकत्रीकरण और प्रसार को सुनिश्चित किया जा सकता है। पेटेंट पूल आमतौर पर प्रौद्योगिकी के विशिष्ट क्षेत्रों से संबंधित पेटेंट, प्रशासन और लाइसेंसिंग में प्रभावी होते हैं।
- इस तरह के पूल आमतौर पर एक केंद्रीय एजेंसी द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं और पेटेंट का हिस्सा बनने वाले लाइसेंस के लिए आसानी से उपलब्ध कराए जाते हैं। कुछ पूल भी ऐसे लाइसेंस के लिए देय रॉयल्टी दरों को प्रकाशित करते हैं। जो कोई भी लाइसेंस प्राप्त करना चाहता है, वह पूल से संपर्क कर उसके शर्तों से सहमत होने के पश्चात उत्पादों का निर्माण और बिक्री शुरू करेगा। उदाहरण के लिए, इस तरह के पूल दूरसंचार और डिजिटल नवाचारों से संबंधित मानक व आवश्यक पेटेंट में प्रचलित हैं।
- उल्लेखनीय है कि पेटेंट पूल कम से कम दो कंपनियों का गठबंधन होता है, जिसमें किसी विशेष तकनीक से संबंधित पेटेंट के लाइसेंस के लिए आपसी सहमति होती है। दूसरे शब्दों में यह एक समझौता है जिसमें

किसी कंपनी के पेटेंट का उपयोग करने की अनुमति दूसरे कंपनी को दिया जाता है। एक पेटेंट पूल का निर्माण पेटेंट धारियों और लाइसेंस धारियों के समय और धन को बचा सकता है।

- फिलहाल, अनुसंधान संगठनों द्वारा टीके और दवाओं के संबंध में COVID-19 से संबंधित नवाचारों से मुक्त एक वैश्विक पूल बनाने का एक अधिक फलदायी प्रयास होगा। यह एक भरोसेमंद अंतरराष्ट्रीय संगठन द्वारा प्रबंधित किया जा सकता है।
- सभी देशों को पेटेंट-धारकों की अनुमति के बिना और अनिवार्य लाइसेंसिंग, आदि जैसे प्रावधानों का सहारा लिए बिना इन नवाचारों को लागू करने का अधिकार होना चाहिए, भले ही इसकी रॉयल्टी न्यूनतम स्तर पर हो।
- एक पूल का निर्माण और तत्काल लाइसेंसिंग यह सुनिश्चित करेगा कि दुनिया भर में सैकड़ों निर्माता द्वारा टीके और दवाएं जल्दी उपलब्ध हो जाएंगी। इसके रॉयल्टी का कुछ हिस्सा तब पेटेंट मालिकों को समय-समय पर वितरित किया जा सकता है और भविष्य में इस तरह की महामारियों से निपटने के लिए कुछ हिस्से को आगे के अनुसंधान के लिए रखा जा सकता है।
- इस तरह के एक पूल को न केवल देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सहयोग की जरूरत है, बल्कि सैकड़ों शोधकर्ता, इनोवेटर्स, कंपनियां और विश्वविद्यालयों को भी शामिल होने की आवश्यकता है। पेटेंट और मुनाफे से संबंधित चिंताओं को एक तरफ रखा जाना चाहिए। दुनिया को कोरोना संकट से जल्दी बाहर आना होगा और संकट का मुकाबला सामूहिक रूप से करना समय की आवश्यकता है।

इसके अतिरिक्त सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) को बढ़ाने की आवश्यकता है।

भारत क्या कर रहा है?

- अमेरिका की दवा कंपनी गिलियड साइंसिज ने हाल ही में घोषणा की कि वह भारत सहित दुनिया की प्रमुख रासायनिक और दवा निर्माता कंपनियों के साथ अपने पेटेंट एंटीवायरल ड्रग रेमेडिसविर के निर्माण को लेकर बातचीत कर रहा है। यह घोषणा ऐसे समय पर की गई है जब हाल ही में अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन प्राधिकरण ने कोविड-19 रोगियों के आपातकालीन उपयोग के लिए इस दवा को मंजूरी दी है।
- कंपनी कम से कम 2022 तक यूरोप, एशिया और विकासशील दुनिया के लिए रेमेडिसविर का उत्पादन करने के लिए स्वैच्छिक लाइसेंस के तहत उनकी क्षमता को लेकर चर्चा कर रही है। स्वैच्छिक लाइसेंस उसे कहते हैं जिसमें एक जेनेरिक दवा निर्माता को पेटेंट धारक द्वारा दवा बनाने की अनुमति दी जाती है। बता दें कि भारत दुनिया के शीर्ष जेनेरिक हब में से एक है।
- गिलियड साइंसिज ने एक बयान में कहा, कंपनी भारत और पाकिस्तान में कई जेनेरिक दवा निर्माताओं के साथ दीर्घकालिक स्वैच्छिक लाइसेंस को लेकर बातचीत कर रही है ताकि विकासशील देशों के लिए रेमेडिसविर का निर्माण किया जा सके। दवा के उत्पादन को सुविधाजनक बनाने के लिए गिलियड कंपनी प्रौद्योगिकी हस्तांतरण करेगा। कंपनी मेडिसिंस पेटेंट पूल के साथ चर्चा कर रही है, जिसके साथ गिलियड ने कई सालों तक साझेदारी की ताकि विकासशील देशों के लिए दवा का लाइसेंस दिया जा सके।
- भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के अनुसार महामारी के दौरान स्थानीय निर्माता कुछ शर्तों के तहत पेटेंट दवा का उत्पादन शुरू कर सकते हैं।
- भारत कोविड-19 के इलाज के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के सॉलिडैरिटी ट्रायल का हिस्सा है और इसे परीक्षण के लिए दवा की एक हजार खुराक मिली है। वहीं हैदराबाद स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी (आईआईसीटी) ने रेमेडिसविर के लिए प्रमुख प्रारंभिक सामग्री (केएसएम) को संश्लेषित किया है। यह सक्रिय दवा घटक विकसित करने की दिशा में पहला कदम है।

आगे की राह

- आज भारत फार्मा पेटेंट कानूनों के मामले में दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। फिलीपींस, अर्जेंटीना, थाइलैंड और चीन तक के पेटेंट कानून में अब ऐसे ही प्रावधानों को शामिल करने के लिए संशोधन किए जा रहे हैं।
- बौद्धिक संपदा अधिकार दिये जाने का मूल उद्देश्य मानवीय बौद्धिक सृजनशीलता को प्रोत्साहन देना है। विश्व के सभी देशों को 'पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क्स और भौगोलिक संकेतक' को चुस्त एवं दुरुस्त बनाने की आवश्यकता है।
- भारत में अनुसन्धान एवं विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी बहुत ही कम है और इसका प्रमुख कारण भारत की कमजोर बौद्धिक सम्पदा अधिकार व्यवस्था है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि भारत 'पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क्स और भौगोलिक संकेतक को चुस्त एवं दुरुस्त बनाए।

सामान्य अध्ययन पेपर-3

Topic:

- भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित मुद्दे।

प्र. एक पेटेंट पूल का निर्माण और तत्काल लाइसेंसिंग प्रदान करना यह सुनिश्चित करेगा कि दुनिया भर में दवाइयों के सैकड़ों निर्माता हैं नतीजतन, टीके और दवाएं जल्दी उपलब्ध हो जाएंगी। चर्चा कीजिये

06 पर्यावरण एवं जलवायु पर कोविड-19 का पश्चात्वर्ती प्रभाव

चर्चा का कारण

- रुग्ण अर्थव्यवस्थाओं को फिर से पटरी पर लाने के लिए बेताब सरकारें वायरस की खतरनाक लहर से बचने के लिए लॉकडाउन के इर्द-गिर्द नोक-झोंक कर रही हैं। इसके अतिरिक्त कोविड-19 के संकट ने इस बात को उजागर किया है कि हमारे देश में हवा की गुणवत्ता में सुधार तो हुआ है किन्तु जानकारों की मानें तो यह समय अर्थव्यवस्था के लिए एक आपात स्थिति जैसी ही है।

परिचय

- नोवेल कोरोना वायरस महामारी ने वायु के प्रदूषण को काफी हद तक कम किया है। इससे ये दिखता है कि एक आपदा से उपजा लॉकडाउन जैसा फैसला किस तरह से कठिन बदलावों को स्वीकार्य बनाता है।
- एक तरफ तो अर्थव्यवस्था की रफ्तार में भीषण कमी देखी जा रही है तो दूसरी तरफ इस लॉकडाउन की वजह से वायरस के फैलाव को रोकने के साथ प्रदूषण के मोर्चे पर भी सफलता मिल रही है। जाहिर है कि सड़क पर कम वाहन, फैक्ट्रियों का बंद होने और निर्माण कार्यों का रुकना इसके पीछे की वजह है।
- इधर वैज्ञानिकों ने चेताया है कि अधिक प्रदूषण वाले इलाकों में इस महामारी का प्रसार खतरनाक तरीके से होगा और स्थिति बदतर होगी। इसकी वजह है, ऐसे इलाकों में रहने वाले लोगों के फेफड़े पहले ही कई तरह की चुनौती झेलकर खराब हो चुके होते हैं और इस वायरस के खतरे को यह बात कई गुना बढ़ा देती है।
- इस समस्या ने इतना तो दिखा दिया कि जब लोग स्वास्थ्य पर आ रहे निकटतम खतरे को भांपते हैं तो वो कठिन से कठिन फैसले लेने के लिए एक मजबूत सामाजिक संरचना बना लेते हैं। हालांकि, ऐसा वे वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारियों के लिए नहीं कर पाते, जिस प्रदूषण की वजह से देश में हर साल 12 लाख लोग असमय मरते हैं। इसका कारण है कि हम वायु प्रदूषण के खतरे को ठीक से समझ नहीं पाए हैं।
- इस समय की त्रासदी ने हमें सामाजिक और कार्यस्थल के काम-काज के तरीकों में नए सिरे से परिवर्तन करने की गुंजाइश के बारे में सोचने को मजबूर किया। इसने डिजिटल और आभासी के आपसी जुड़ाव की क्षमता को समझते हुए कार्यस्थल की परिकल्पना को बदला है।
- वाहनों के सफर में कमी आई है और पैदल व साइकल से आसपास की दूरी तय करने के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। आने वाले समय में विनिर्माण और ऊर्जा क्षेत्र फिर से अपनी रफ्तार पकड़ लेगा, लेकिन इस त्रासदी से हमें इसकी एक सीमा तय करने में मदद मिलेगी जहां तक वो विकास कार्य कर उत्सर्जन को भी नियंत्रण में रख सकें।

भारत में वायु प्रदूषण की स्थिति

- जैसे ही देश के बड़े शहर लॉकडाउन की स्थिति में आए वहां प्रदूषण का स्तर नीचे आया है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के प्रदूषण को लेकर रोजाना विश्लेषण में सामने आया कि लॉकडाउन की वजह से अब तक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बैंगलुरु की हवा में प्रदूषण का स्तर कुछ कम हुआ है।
- मुंबई शहर में दूसरे शहरों से पहले लॉकडाउन हुआ था। इसकी वजह से रोज का औसत पीएम स्तर 2.5 जनता कर्फ्यू के दिन 22 मार्च को 61 प्रतिशत कम रहा। इसी तरह इस दिन दिल्ली में यह 26 प्रतिशत, कोलकाता में 60 प्रतिशत और बैंगलुरु में 12 प्रतिशत कम रहा। मुंबई में लॉकडाउन मार्च 17 से 19 और मार्च 22 से 23 के बीच में रहा इसलिए इसकी तुलना काफी पहले से की गई।
- अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड के स्तर को देखें तो यह दिल्ली में 42 प्रतिशत, मुंबई में 68 प्रतिशत, कोलकाता में 49 प्रतिशत और बैंगलुरु में 37 प्रतिशत तक कम रहा। ये बदलाव गाड़ियों के सड़कों पर न होने, फैक्ट्रियों में बंदी रहने और निर्माण कार्यों के रुकने की वजह से हुआ है।
- दिल्ली में इस वर्ष 25 मार्च से 1 अप्रैल के बीच लॉकडाउन के पहले सप्ताह में पी.एम. 2.5 मात्र 16-42 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर मापा गया जो 2019 में 72-187, 2018 में 72 से 171 तथा 2016 में 49 से 116 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक की तुलना में काफी कम है।
- वहीं, चंडीगढ़, जालंधर, लुधियाना, कानपुर, खन्ना, कोटा, मानेसर, नारनौल, राजामहेन्द्रवरम, सतना, यादगीर, भिवंडी, हुबली, कैथल, दमोह, पटियाला, कोच्चि, कोझिकोड और उदयपुर में हवा की गुणवत्ता 'अच्छी' श्रेणी में दर्ज की गई है। जबकि वाराणसी और ग्रेटर नोएडा सहित 14 शहरों में वायु गुणवत्ता सामान्य श्रेणी में पहुंच गई है।
- उल्लेखनीय है कि देश के 104 शहरों में वायु प्रदूषण की स्थिति पर सीपीसीबी के वायु गुणवत्ता सूचकांक के माध्यम से निरंतर निगरानी की जाती है। सूचकांक पर पार्टिकुलेट तत्वों- पीएम 10 और पीएम 2.5 के स्तर के आधार पर इन शहरों में वायु प्रदूषण को छह श्रेणियों (अच्छा, संतोषजनक, सामान्य, खराब, बहुत खराब और गंभीर) में रखा जाता है। एक्यूआई पर 'बहुत खराब' और 'गंभीर' श्रेणी में फिलहाल कोई शहर नहीं है।

वैश्विक स्थिति

- अमरीका के न्यूयॉर्क शहर की ही बात करें तो पिछले साल की तुलना में इस साल वहां प्रदूषण 50 प्रतिशत कम हो गया है। इसी तरह चीन में भी कार्बन उत्सर्जन में 25 फीसद की कमी आई है।
- चीन के 6 बड़े पावर हाउस में 2019 के अंतिम महीनों से ही कोयले के इस्तेमाल में 40 फीसद की कमी आई है। पिछले साल इन्हीं दिनों की तुलना में चीन के 337 शहरों की हवा की गुणवत्ता में 11.4 फीसद का सुधार हुआ।
- स्वीडन के एक जानकार और रिसर्चर किम्बर्ले निकोलस के मुताबिक, दुनिया के कुल कार्बन उत्सर्जन का 23 फीसद परिवहन से निकलता है। इनमें से भी निजी गाड़ियों और हवाई जहाज की वजह से दुनिया भर में 72 फीसद कार्बन उत्सर्जन होता है।

- जानकारों का कहना है कि अगर कोरोना वायरस की महामारी इस साल के अंत तक जारी रहती है, तो जाहिर है पैसे की कमी के चलते मांग में कमी आएगी और इसका असर कार्बन उत्सर्जन पर पड़ेगा ही। वहीं, नार्वे की राजधानी ओस्लो के एक अन्य रिसर्चर का कहना है कि 2020 में अगर आर्थिक स्थिति बेहतर हो भी जाती है, तो भी कार्बन उत्सर्जन में 0.3 फीसद की कमी आएगी। बशर्ते कि उत्पादक कंपनियां स्वच्छ ईंधन का प्रयोग करें।

जलवायु नीतिः अमीर और गरीब देशों की खींचतान

- वैसे तो जलवायु परिवर्तन वार्ता और क्लाइमेट पॉलिसी जटिल विषय है लेकिन आसान भाषा में समझना हो तो इसे विकसित और विकासशील देशों के बीच एक खींचतान या सीधे शब्दों में अमीर-गरीब की लड़ाई कह सकते हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद से अब तक विकसित कहे जाने वाले देशों ने ही वातावरण में कार्बन जमा किया है। वातावरण में करीब डेढ़ सौ सालों में जमा हुये उत्सर्जन (हिस्टॉरिक इमीशन्स) में अगर अमेरिका का सबसे बड़ा हिस्सा है तो वर्तमान में चीन सबसे तेज रफ्तार से कार्बन छोड़ रहा है।
- गरीब और विकासशील देशों की मांग है कि विकसित देश अपने कार्बन उत्सर्जन कम करें और जलवायु परिवर्तन के खतरों से लड़ने के लिये विकासशील देशों को टेक्नोलॉजी और पैसा (क्लाइमेट फाइनेंस) मुहैया करायें। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद क्लाइमेट चेंज को विकासशील देशों का बनाया हौव्वा बताकर अमेरिका को इस संधि से बाहर कर लिया, हालांकि यूरोपीय देशों ने काफी हद तक जलवायु परिवर्तन की लड़ाई में गंभीरता दिखाई है। अभी सवाल है कि क्या कोरोना संकट के बाद जलवायु परिवर्तन के लिये अमीर देश गंभीर रह पायेंगे और क्या विकासशील और गरीब देशों के पास इतनी ताकत बचेगी कि वह उत्सर्जन कर रहे देशों पर क्लाइमेट एक्शन के लिये दबाव बना सकें।

कोरोना ने बदला परिदृश्य

- कोरोना महामारी फैलते ही दुनिया के ज्यादातर देशों में जिंदगी ठहर गई, कामधंधे रोक दिये गये, वाहनों, रेलगाड़ियों का चलना बन्द व उड़ानें ठप हो गई। होटल, रेस्तरां और क्लब बन्द कर दिये गये। जाहिर तौर पर पर्यावरण में साफ बदलाव दिख रहा है। न केवल प्रदूषण कम है बल्कि तमाम अमीर और घने उद्योगों वाले देशों के कार्बन इमीशन तेजी से गिरे हैं। चीन की मिसाल लें तो जब वहां कोरोना का कहर सबसे अधिक था तो कार्बन उत्सर्जन 25% कम हो गये।
- लेकिन इस तरह कोरोना के प्रभाव से कम होता प्रदूषण और कार्बन इमीशन भले ही धरती को तात्कालिक रूप से साफ करता दिखे लेकिन जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लंबी लड़ाई के लिये फायदेमंद नहीं है। न केवल इन हालातों से सभी देशों को आर्थिक झटका लगा है बल्कि महामारी के काबू में आते ही इमीशन फिर से आसमान छूने लगेंगे।
- हाल ही में United States National Oceamic and Atmospheric Association (NOAA) द्वारा दिए गए आकड़े दर्शाते हैं कि अप्रैल 2020 के पश्चात वायुमण्डल में CO_2 का उत्सर्जन तेजी से बढ़ा है, जो कि लॉकडाउन के पश्चात कुछ देशों द्वारा आर्थिक गतिविधि में तेजी का परिणाम है।
- इसके अलावा अर्थव्यवस्था को लगे झटके के बाद विकसित देश पैसे की कमी बताकर अपना पल्ला झाड़ लेंगे और पेरिस संधि में जिस क्लाइमेट फाइनेंस का वादा है वह पूरा नहीं होगा। यहां यह उल्लेखनीय है कि 2010 में कोपेनहेगन सम्मेलन के दौरान 2020 तक 100 बिलियन डॉलर का एक ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाने की बात हुई थी जिसमें आजतक 10% से भी कम जमा हुआ है।
- इसके अलावा कोरोना ने क्लाइमेट एक्शन पर अब तक ढुलमुल रवैया अपना रहे देशों को बहानेबाजी का मौका भी दे दिया है। सभी देशों के एक्शन प्लान इस साल ग्लासगो में होने वाली जलवायु वार्ता में प्रस्तुत होने थे। अब लगता है कि अगर वार्ता अगले साल के मध्य में भी हो तो एक्शन प्लान प्रस्तुत न करने और उस पर अमल न करने का बहाना कई देशों के पास है यानी क्लाइमेट पॉलिसी में राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव दिख सकता है।

आगे की राह

- इस महामारी ने हमें वास्तविकता से परिचित कराया है कि वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य जोखिम को कम करने के लिए लंबे समय के और टिकाउ निर्णय की जरूरत है। पहले ही देश में 12 लाख लोग हर साल वायु प्रदूषण की वजह से होने वाले हृदय, किडनी और सांस संबंधी बीमारी से असमय मर रहे हैं। हालांकि, डायबिटीज और उच्च रक्तचाप भी वायु प्रदूषण की वजह से होने वाली बीमारियों में शामिल हैं और स्थानिक रोग है। इन स्थानिक रोगों (डायबिटीज और रक्तचाप) ने बड़ी जनसंख्या के बीच महामारी को और विकराल रूप लेने के खतरों को बढ़ाया है।
- इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल को कम समय के लिए लाया गया है और एकबार आपात स्थिति खत्म होने के बाद सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर इच्छा शक्ति की कमी की वजह से वापस ले लिया जाएगा। निःसंदेह ही ऐसी त्रासदी के वक्त लिए गए बदलावों के परिणामों पर वाद-विवाद करने का यह अच्छा कारण नहीं है। हालांकि, महामारी से लड़ने के लिए सामाजिक साझेदारी से लिया गया लॉकडाउन का फैसला और इसके अनुभव से यह साबित होता है कि अगर वायु प्रदूषण से होने वाले स्वास्थ्य प्रभावों पर लोगों में जागरुकता हो तो ऐसे फैसले आगे भी होंगे।

सामान्य अध्ययन पेपर-3

Topic:

- संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन।

प्र. कोविड -19 ने हमें इस वास्तविकता से परिचित कराया है कि वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य जोखिम को कम करने के लिए लंबे व टिकाउ निर्णय की जरूरत है। चर्चा कीजिये

07 भारत में रासायनिक आपदा और उसका प्रबंधन

चर्चा का कारण

- हाल में हुए विजाग गैस रिसाव त्रासदी ने भारत में रासायनिक आपदाओं के खिलाफ उपलब्ध सुरक्षा उपायों को पुनः सुर्खियों में ला दिया है। रिसाव का स्रोत दक्षिण कोरियाई कंपनी एलजी पालीमर के स्वामित्व वाला एक स्टाइलर प्लांट था, जो तटवर्ती शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर गोपालपट्टनम के पास आरआरवी पुरम में स्थित था। इस केमिकल यूनिट से स्टायरिन नामक गैस का रिसाव हो रहा था जिसके कारण लगभग तीन किलोमीटर के दायरे में एक हजार से ज्यादा लोगों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा है।

पृष्ठभूमि

- गौरतलब है कि भोपाल गैस त्रासदी के समय केवल, भारतीय दंड संहिता (IPC) एकमात्र प्रासंगिक कानून था, जिसमें ऐसी घटनाओं की आपराधिक जिम्मेदारी का उल्लेख था।
- इसका उपयोग कर सीबीआई ने शुरू में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 304 (अगर कोई व्यक्ति गैर इरादतन हत्या करता है तो यह हत्या कि श्रेणी में नहीं आता है) के तहत आरोपियों पर आरोप लगाए,बाद में धारा 304 ए के तहत आरोप तय किए गए, जो लापरवाही के कारण मौत से संबंधित है जिसके अंतर्गत अधिकतम दो साल की सजा और जुर्माना लगाया जा सकता है।
- हालाँकि, 1996 के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद आरोप फिर से लगाये गये जिसमे यह दलील दी गयी कि यह साबित करने के लिए कोई सबूत ही नहीं है कि आरोपियों को इस बात का पूर्वज्ञान था कि गैस लीक होने वाली है और लोगों को अपना शिकार बनाने वाली है।

भोपाल गैस त्रासदी

- सबसे खतरनाक रासायनिक दुर्घटना, भोपाल गैस त्रासदी जिसमें अमेरिकी मल्टीनेशनल, यूनियन कार्बाइड कॉर्प के स्वामित्व वाले कीटनाशक संयंत्र से लगभग 40 टन मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव से 3,500 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी।
- 3 दिसंबर 1984 को हुई इस घटना को 35 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन प्रभावित लोगों की संख्या पर अभी भी भारी बहस जारी है। कुछ कार्यकर्ता, लगभग 20,000 से 25,000 मौतों का अनुमान लगाते हैं।

भारत में रासायनिक आपदा से बचाव के लिए कानून

- भोपाल गैस त्रासदी के तुरंत बाद, सरकार ने पर्यावरण को विनियमित करने और सुरक्षा के उपायों और दंड को निर्दिष्ट करने के लिए कई कानूनों को पारित किया। इनमें से कुछ कानून निम्नलिखित थे:
  - **भोपाल गैस रिसाव अधिनियम, 1985:** यह केंद्र सरकार को भोपाल गैस त्रासदी से जुड़े दावों को सुरक्षित करने की शक्तियाँ प्रदान करता है। इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत, ऐसे दावों को शीघ्र और समान रूप से निपटाया जाता है।
  - **पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986:** यह केंद्र सरकार को पर्यावरण में सुधार और सुरक्षा के उपाय करने, मानकों को निर्धारित करने और औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण करने की शक्तियां देता है।
  - **खतरनाक अपशिष्ट (मैनेजमेंट हैंडलिंग और बाउन्ड्री मूवमेंट) नियम, 1989:** इसमें आवश्यक उद्योगों द्वारा प्रमुख दुर्घटनाओं के खतरों की पहचान कर उसके निवारक उपाय करने संबंधित रिपोर्ट नामित अधिकारियों को देने सम्बन्धी नियम शामिल है।
  - **खतरनाक रसायन (निर्माण, भंडारण और आयात) नियम, 1989:** इसके अंतर्गत आयातक द्वारा सक्षम प्राधिकारी को उत्पाद सम्बंधित पूर्ण सुरक्षा जानकारी प्रस्तुत करने और संशोधित नियमों के अनुसार आयातित रसायनों का परिवहन करने संबंधित नियम है।
  - **रासायनिक दुर्घटनाएं (आपातकालीन, योजना, तैयारी और प्रतिक्रिया) नियम, 1996:** इसमें कहा गया कि केंद्र को रासायनिक दुर्घटनाओं के प्रबंधन के लिए एक केंद्रीय संकट समूह के गठन की आवश्यकता है जिसके द्वारा त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र स्थापित किया जाएगा जो संकट चेतावनी प्रणाली के तौर पर काम करेगा साथ ही प्रत्येक राज्य को एक संकट समूह स्थापित करने और अपने काम पर रिपोर्ट देने की आवश्यकता है।
  - **पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट, 1991:** यह एक बीमा सम्बंधित नियम है जो ऐसे व्यक्तियों को राहत प्रदान करेगा, जो कि खतरनाक पदार्थों को संभालते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं।
  - **राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम, 1997:** इसके तहत राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण उन क्षेत्रों के प्रतिबंध के बारे में अपील सुन सकता है जिनमें कोई उद्योग या उद्योग का संचालन, विकास या कोई वर्ग शामिल हो।
  - **नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, 2010:** यह पर्यावरण और वनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान के लिए एक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना का प्रावधान करता है।

कुछ प्रमुख गैस-रिसाव संबंधी आपदाएँ

- **2014 गेल पाइपलाइन ब्लास्ट:** 27 जून 2014 को आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले के नगराम में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल) द्वारा बनाए गए भूमिगत गैस पाइपलाइन में विस्फोट के बाद भीषण आग लग गई थी।
- **2014 भिलाई इस्पात संयंत्र गैस रिसाव:** छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में भिलाई इस्पात संयंत्र में जून 2014 में एक अन्य घटना में, एक वाटर पंप हाउस में मीथेन गैस पाइपलाइन में रिसाव की घटना में छह लोग मारे गए और 40 से अधिक घायल हो गए।

- **2017 दिल्ली गैस रिसाव:** तुगलकाबाद डिपो के सीमा क्षेत्र में दो स्कूलों के पास एक कंटेनर डिपो में रासायनिक रिसाव के कारण फैलने वाले जहरीले धुएं के बाद लगभग 470 स्कूली बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
- **2018 भिलाई इस्पात संयंत्र ब्लास्ट:** राज्य के स्वामित्व वाले सेल (SAIL) के भिलाई इस्पात संयंत्र में हुए विस्फोट में नौ लोग मारे गए और 14 घायल हो गए।

चुनौतियाँ

- भोपाल त्रासदी के बाद भी भारत ने रासायनिक दुर्घटनाओं की एक श्रृंखला देखी है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के अनुसार, देश में 130 से अधिक महत्वपूर्ण रासायनिक दुर्घटनाएं हुई जिसके परिणामस्वरूप 259 मौतें हुई हैं और 560 से अधिक लोगों को बड़ी चोटें आई हैं।
- देश में 1861 से अधिक मेजर ऐक्सिडेंटल हजार्ड (एमएएच), 301 जिलों, 25 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों के सभी क्षेत्रों में फैले हुए हैं।
- इसके अलावा, हजारों पंजीकृत रेड जोन कारखाने और असंगठित क्षेत्र हैं, जो जोखिम से भरे खतरनाक समाग्रियों के अनेक विभिन्नताओं से निपटते हैं।
- रसायनों के प्रबंधन के लिए कानूनी ढांचा पहले से मौजूद है उसमे कार्यान्वयन मुख्य चुनौती है।
- खतरनाक रसायनों के परिवहन के दौरान दुर्घटनाओं को कम करने के लिए एक आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम की अनुपलब्धता के कारण भारत में कई स्थानों पर बड़ी आपदाएं हुई हैं।
- मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के गैर-अनुपालन के परिणामस्वरूप और मानवीय त्रुटियों के कारण अधिकांश औद्योगिक दुर्घटनाएं होती हैं। 1988 में हुआ पाइपर अल्फा दुर्घटना इसका उदाहरण है कि कैसे मानवीय त्रुटि रासायनिक आपदाओं को जन्म दे सकती है, जिसमें एक कार्यकर्ता ने गलती से रखरखाव के तहत सुरक्षा वाल्व के बिना एक पंप को सक्रिय कर दिया था जो गैस रिसाव और बाद में विस्फोट का कारण बना था।

आगे की राह

- बीते वर्षो और हाल के दिनों में हुए रासायनिक आपदा के प्रबन्धन में एनआईडीएम की केमिकल डिजास्टर पर की गयी नेशनल वर्कशॉप में दिए सुझावों पर कार्य करने की आवश्यकता है जिससे भविष्य में ऐसे दुर्घटनाओं से सम्भला जा सके। एनआईडीएम की सिफारिशें इस प्रकार है:
  - खतरनाक पदार्थों और रसायनों के लेबलिंग पर विनियामक प्रावधान की आवश्यकता है।
  - रासायनिक भंडारण, हैंडलिंग और दुर्घटनाओं सम्बंधित रिपोर्टिंग प्रणाली को देश के सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में सामंजस्यपूर्ण और सरल स्वरूप में होना चाहिए।
  - एमओईएफ के सहयोग से एनआईसी द्वारा विकसित वेब आधारित रासायनिक दुर्घटना सूचना और रिपोर्टिंग प्रणाली को रासायनिक दुर्घटनाओं पर डेटा बेस बनाने के लिए व्यापक प्रदर्शन की आवश्यकता है।
  - खतरनाक रसायनों के स्थान मानचित्रण, प्रक्रियाओं, भंडारण, हैंडलिंग, परिशोधन, आदि पर एक सामान्य सूचना प्रबंधन प्रणाली की आवश्यकता है।
  - खतरनाक अपशिष्ट प्रसंस्करण और इसके उचित निपटान पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि ये गतिविधियाँ पर्यावरण में आग, विस्फोट और विषाक्त रिलीज में भी योगदान कर सकती हैं। सार्वजनिक जागरूकता, विशेष रूप से रासायनिक खतरों के संबंध में भी अधिक जोर देने की आवश्यकता है।

सामान्य अध्ययन पेपर-3

Topic:
- आपदा और आपदा प्रबंधन।

प्र. भारत में रासायनिक आपदाओं से सुरक्षा के लिए किए गए प्रावधानों की चर्चा करें।

7 महत्वपूर्ण ब्रेन बूस्टर्स

01 भारत- नेपाल सीमा विवाद

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में कैलाश मानसरोवर के तीर्थ यात्रियों के लिए यात्रा के समय को कम करने हेतु भारत से चीन तक नई लिंक सड़क का उद्‌घाटन किया गया।
- परन्तु इस पर नेपाल ने दावा किया है कि लिपुलेख से जुड़ने वाला यह लिंक रोड नेपाली क्षेत्र से होकर गुजरता है।

2. पृष्ठभूमि

- गौरतलब है कि यह लिंक रोड उत्तराखंड के धारचूला से शुरू होकर लिपुलेख दर्रे तक 80 किमी लम्बा है। इसे सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाया गया है।
- यह सड़क उत्तराखंड के पिथौरागढ़ को लिपुलेख दर्रे से जोड़ती है, जिसे नेपाल, भारत-चीन सीमा पर अपने क्षेत्र का हिस्सा मानता है। सड़क के अंतिम 4-किमी खंड का निर्माण अभी भी शेष है, जो इस वर्ष के अंत में लंबित मंजूरी के बाद शुरू हो सकता है।
- नेपाल का मानना है कि भारत के इस कदम से 2014 में भारतीय प्रधानमंत्री और नेपाल के प्रधानमंत्री के बीच हुए समझौते का उल्लंघन हुआ है।
- सीमा विवाद को लेकर भारत और नेपाल के बीच तनाव पिछले साल ही बढ़ गया जब नई दिल्ली ने भारत के हिस्से के रूप में कालापानी दिखाते हुए एक नया नक्शा जारी किया था।

3. विवाद की मूल उत्पति

- 1816 में नेपाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हस्ताक्षरित सुगौली की संधि के तहत, काली नदी भारत के साथ नेपाल की पश्चिमी सीमा के रूप में स्थित थी।
- नेपाल का दावा है,कि क्षेत्र के पश्चिम की ओर स्थित मुख्य नदी काली नदी है और यह नेपाली क्षेत्र में गिरती है। जबकि भारत का दावा है कि कालापानी क्षेत्र के पूर्व की ओर एक रिंगलाइन है और इसलिए इसे भारतीय संघ में शामिल किया गया है।
- इस विसंगति के कारण भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद पैदा हो गया, जिसमें प्रत्येक देश अपने देश के नक्शे सहित, अपने-अपने क्षेत्र में अपने दावों का समर्थन करते हैं। कालापानी क्षेत्र का सटीक आकार भी अलग-अलग स्रोतों में भिन्न प्राप्त होता है।

4. विवादित क्षेत्र की स्थिति

- कालापानी कैलाश मानसरोवर मार्ग पर 3600 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है। यह भारत में उत्तराखंड और नेपाल में सुदूर पश्चिम प्रदेश के बीच सीमा बनाता आता है।
- 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद से, कालापानी को भारत की भारत-तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

5. भारत की प्रतिक्रिया

- भारत के विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से होकर गुजरने वाली लिंक रोड पूरी तरह से भारत के क्षेत्र में स्थित है।
- भारत ने यह भी स्पष्ट किया है कि नई लिंक रोड कैलाश मानसरोवर यात्रा के तीर्थयात्रियों द्वारा पहले से मौजूद मार्ग का ही अनुसरण करती है।
- भारत ने कहा है, कि नेपाल के साथ सीमा परिसीमन अभ्यास जारी है और भारत नेपाल के साथ घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों और शेष सीमा सम्बंधित मुद्दों को राजनयिक बातचीत के माध्यम से सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है।

02 मिशन सागर

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में भारत ने पूर्वी हिंद महासागर में स्थित द्विपीय देशों की सहायता के लिए "मिशन सागर" का शुभारंभ किया है। इस कार्य को रक्षा और विदेश मंत्रालय और सरकार की अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर आगे बढ़ाया जा रहा है।

2. मिशन सागर की मुख्य पहलें

- वर्तमान में व्याप्त महामारी COVID-19 के दौरान हिंद महासागर में पाँच द्विपीय देशों के लिए लॉन्च मिशन सागर के तहत, भारतीय नौसेना के जहाज केसरी द्वारा मालदीव, मॉरीशस, सेशेल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस के लिए खाद्य पदार्थ, COVID से संबंधित दवाएं, HCQ टैबलेट और विशेष आयुर्वेदिक दवाओं सहित चिकित्सा सहायता टीमों को रवाना किया गया है।
- इसके अलावा, मिशन के हिस्से के रूप में, आईएनएस केसरी मालदीव गणराज्य में पोर्ट ऑफ माले में प्रवेश करेगा, ताकि उन्हें 600 टन खाद्य सामग्री प्रदान किए जा सके।
- यह पहली बार है कि एक एकल सहायता मिशन श्रीलंका को छोड़कर पश्चिमी हिंद महासागर के सभी द्वीप देशों को कवर कर रहा है, जिसके लिए दवाओं के एक दूसरे सेट को भी एयरलिफ्ट किया गया है।
- यह विचार प्रधानमंत्री के विजन, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन (SAGAR) के अनुरूप भी है।

3. सिक्योरिटी एण्ड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन (SAGAR)

- यह 2015 में शुरू किया गया था। यह हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) के लिए भारत की रणनीतिक पहल है।
- सागर (SAGAR) के माध्यम से, भारत अपने समुद्री पड़ोसियों के साथ आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को गहरा करने के साथ ही उनकी समुद्री सुरक्षा क्षमताओं के निर्माण में भी सहायता कर सकता है।
- इसके अतिरिक्त, भारत हिंद महासागर के क्षेत्र में समावेशी, सहयोगी और अंतरराष्ट्रीय कानून के सम्मान और विकास को सुनिश्चित कर अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना चाहता है।
- एसएजीआर की प्रमुख प्रासंगिकता तब सामने आती है, जब यह भारत की अन्य नीतियों के साथ संयोजन के रूप में कार्य करती है, जो कि समुद्री क्षेत्र को प्रभावित करती हैं जैसे कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी, प्रोजेक्ट सागरमाला, प्रोजेक्ट मौसम, ब्लू इकोनॉमी पर ध्यान केंद्रित करना आदि।
- सागर 'हिंद महासागर रिम एसोसिएशन' के सिद्धांतों के अनुरूप है। इसके तहत पीएम और विदेश मंत्री आईओआरए देशों के नेतृत्वकर्ताओं के साथ नियमित संचार बनाए रखते हैं।

4. हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA)

- पहली बार मार्च 1995 में मॉरीशस में हिंद महासागर रिम एक पहल के रूप में स्थापित किया गया था और बाद में क्षेत्रीय सहयोग के लिए IORA के चार्टर के रूप में चर्चित बहुपक्षीय संधि के निष्कर्ष द्वारा 1997 में औपचारिक रूप से शुरू किया गया था।
- यह विशेष रूप से व्यापार सुविधा और निवेश, संवर्धन और क्षेत्र के सामाजिक विकास पर आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए मुक्त क्षेत्रवाद के सिद्धांतों पर आधारित है।

5. मिशन सागर का महत्व

- मिशन सागर एक परिनियोजित क्षेत्र के रूप में भारत के पहले उत्तरदाता की भूमिका के अनुरूप है और COVID-19 महामारी और इसके परिणामी कठिनाइयों से लड़ने के लिए इन देशों के साथ मौजूद उत्कृष्ट संबंधों का निर्माण करता है।
- मिशन सागर भारत द्वारा अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों के महत्व पर प्रकाश डालता है और मौजूदा संबंधों को और मजबूत करता है।

03 वैश्विक पोषण रिपोर्ट–2020

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में 'वैश्विक पोषण रिपोर्ट-2020' (Global Nutrition Report 2020) के अनुसार, भारत उन 88 देशों में शामिल है, जो 2025 तक वैश्विक पोषण लक्ष्यों को पूरा करने में असफल रह सकते हैं।

2. रिपोर्ट के मुख्य बिन्दु

- रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2000 से 2017 के बीच पूरे भारत में तमाम संकेतकों में सुधार हुआ है लेकिन कई राज्यों में जिलों के बीच असमानता बढ़ी है और भारत के जिलों के बीच विशाल अंतर है।
- गौरतलब है कि कोरोना वायरस के दौर में सभी को अधिक न्यूट्रिशन या पोषण की जरूरत है ताकि उनका इम्यून सिस्टम ठीक रहे, लेकिन रिपोर्ट की मानें तो पोषण में असमानता के कारण वर्ष 2012 में कुपोषण को मिटाने के लिए 2025 तक का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, वह पूरा होता नहीं दिख रहा है।

3. पोषण लक्ष्य

- गौरतलब है कि वर्ष 2012 में विश्व स्वास्थ्य सभा (World Health Assembly) में माँ, शिशु और किशोर बच्चों में 6 पोषण लक्ष्यों की पहचान की गई, जिन्हें वर्ष 2025 तक प्राप्त किया जाना था।
- इन लक्ष्यों में प्राथमिक रूप से 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में वृद्धिरोध या बौनापन के मामलों में 40% की कमी करने का लक्ष्य रखा गया, साथ ही 19-50 वर्ष की आयु की महिलाओं में एनीमिया (Anaemia) के मामलों में 50% की कमी करने पर भी विशेष जोर दिया गया।
- इसके अतिरिक्त कम वजन के शिशुओं के जन्म के मामलों में 30% की कमी को सुनिश्चित करने का भी लक्ष्य रखा गया।
- विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा कहा गया कि बच्चों में मोटापे के मामलों में वृद्धि को पूरी तरह से रोकना व शिशु के जन्म के पहले 6 महीनों में अनन्य स्तनपान (जन्म के शुरुआती 6 माह में शिशु को केवल माँ का दूध) की दर को 50% तक बढ़ाना आवश्यक है।
- बाल निर्बलता/दुबलापन (Child wasting) के मामलों में कमी लाना और इसे 5% से कम बनाए रखना भी इन लक्ष्यों में शामिल है।

4. रिपोर्ट में भारत की स्थिति

- वैश्विक पोषण रिपोर्ट के अनुसार, भारत चार मानकों जिनमें शामिल हैं- 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में वृद्धिरोध, प्रजनन योग्य आयु की महिलाओं में एनीमिया के मामले, बच्चों में मोटापा और अनन्य स्तनपान के किसी भी लक्ष्यों को नहीं पूरा कर सकेगा।
- रिपोर्ट कहती है कि वर्ष 2000 से लेकर वर्ष 2016 तक लड़कों में कम वजन के मामलों की दर 66% से घटकर 58.1% तक पहुँच गई साथ ही इसी दौरान लड़कियों में कम वजन के मामलों की दर 54.2% से घटकर 50.1% तक पहुँच गई थी।
- हालाँकि कम वजन के मामलों में आई यह कमी अभी भी एशिया के औसत (लड़कों में 35.6% और लड़कियों में 31.8%) से काफी ज्यादा है।
- इसके अतिरिक्त भारत में 37.9% बच्चों में वृद्धिरोध या बौनेपन और 20.8% में निर्बलता या दुबलेपन के मामले देखे गए हैं, जबकि एशिया में यह औसत क्रमशः 22.7% और 9.4% है।
- अध्ययन के मुताबिक वर्ष 2017 में भारत में पांच साल से कम उम्र के 10.4 लाख बच्चों की मौत हुई, जिनमें से 5.7 लाख शिशु थे। इसी प्रकार वर्ष 2000 के मुकाबले 2017 में पांच साल से कम उम्र के 22.4 लाख बच्चों की कम मौतें हुई, जबकि शिशुओं की मौत की संख्या में 10.2 लाख की कमी आई।
- भारत में पोषण की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है, विश्व में सिर्फ नाइजीरिया और इंडोनेशिया जैसे देश ही ऐसे हैं जहां हमसे भी खराब स्थिति है। बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों में 40 प्रतिशत से भी ज्यादा बच्चे कुपोषित हैं। वहीं अगर महिलाओं की बात करें, तो आधी आबादी एनीमिया की शिकार है। झारखंड में तो 65 प्रतिशत से अधिक महिलाएं एनेमिक हैं।
- इस रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रजनन आयु योग्य दो महिलाओं में से एक महिला एनीमिक है, जबकि एक ही समय में अधिक वजन और मोटापे की दर लगातार बढ़ रही है, जिससे वयस्कों का लगभग पांचवां हिस्सा (21.6% महिलाओं और 17.8% पुरुषों में) प्रभावित होता है।
- ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020 का कहना है कि कुपोषण का एक बड़ा कारण लिंग, भौगोलिक स्थिति, उम्र और जाति आधारित असमानता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि असमानता कुपोषण का कारण है। कम पोषण और अधिक वजन, मोटापा और अन्य आहार संबंधी पुरानी बीमारियों का एक महत्त्वपूर्ण कारण असमानता है। भोजन और स्वास्थ्य प्रणालियों में असमानता पोषण के परिणामों में असमानता को बढ़ाती है जो बदले में अधिक असमानता पैदा कर सकती है।

04 पराबैंगनी कीटाणुनाशक विकिरण (यूवीजीआई)

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में कुछ वैज्ञानिकों द्वारा स्कूलों, रेस्तरां और अन्य सार्वजनिक स्थानों में कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए पराबैंगनी कीटाणुनाशक विकिरण (यूवीजीआई) के उपयोग का अध्ययन किया जा रहा है।

2. यूवीजीआई की कार्य-प्रणाली

- इस पद्धति के माध्यम से पराबैंगनी प्रकाश (यूवी लाइट) दूषित सार्वजनिक स्थानों को कीटाणुरहित कर, वायरस के संचरण को रोकने में सक्षम होंगी।
- यूवीजीआई रोगजनकों को निशाना बनाने के लिए यूवी लाइट के विनाशक गुणों का उपयोग करता है जो कि दूषित स्थानों, हवा और पानी को कीटाणुरहित करता है और कुछ संक्रामक रोगों को फैलने से रोकने में मदद करता है।
- अल्ट्रा वायलेट जर्मीसाइडल इरेडिएशन (UVGI) को वैकल्पिक रूप से, वेंटिलेशन सिस्टम या पोर्टेबल या फिक्स्ड एयर क्लीनर के वायु नलिकाओं में स्थापित किया जा सकता है और एक कमरे के कोनों में भी स्थापित किया जा सकता है।
- 2005 में, CDC (रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र) ने अस्पताल की सेटिंग में तपेदिक (टीबी) के प्रसार के संबंध में यूवीजीआई के उपयोग के लिए अपने दिशानिर्देशों को संशोधित किया।
- दिशानिर्देशों का उद्देश्य संक्रमित रोगियों या अन्य लोगों से स्वास्थ्य वर्करों में संक्रमण के प्रसार को समाप्त करना था।

3. यूवीजीआई कितना कारगर

- शोधकर्ताओं के अनुसार, यूवीजीआई उस संक्रमण को रोकने में सबसे प्रभावी है जो मुख्य रूप से छोटी बूंदों के माध्यम से फैलता है न की सीधे संपर्क या बड़े श्वसन बूंदों के माध्यम से।
- साथ ही साथ यूवीजीआई की प्रभावकारिता कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे:
  - यूवीजीआई के लिए सूक्ष्मजीवों की संवेदनशीलता।
  - रोगजनकों को मारने के लिए यूवीजीआई की खुराक/तीव्रता।
  - आर्द्रता और मौसम की स्थिति।
  - एक कमरे में हवा का संचार।
- हालांकि, स्कूलों, विश्वविद्यालयों, रेस्तरां और सिनेमा हॉल जैसे सार्वजनिक स्थानों पर बड़े पैमाने पर युविजीआई का उपयोग कर रोग की रोकथाम करना बहुत ही प्रभावी तरीका नहीं है।

5. यूवी रेंज और इसका प्रभाव

- सूर्य से आने वाली यूवी प्रकाश में दृश्य प्रकाश की तुलना में कम तरंग दैर्ध्य होते हैं और इसलिए, यह नग्न आंखों को दिखाई नहीं देता है।
- यूवी विकिरण का पूरा स्पेक्ट्रम सूर्य से प्राप्त होता है और इसे यूवी-ए, यूवी-बी और यूवी-सी किरणों में विभाजित किया जा सकता है।

1. दीर्घ तरंग दैर्ध्य।	2. अपेक्षाकृत मध्यम तरंग दैर्ध्य।	3. लघु तरंग दैर्ध्य।
लगभग 15% यूवी विकिरण पृथ्वी की सतह तक पहुँचते हैं।	UV-B किरणों के संपर्क में रहने वाले जीवों में डीएनए और कोशिकीय क्षति हो सकती है और इसके संपर्क में वृद्धि से ये कोशिकाएं कैंसर जनित पदार्थ उत्पन्न कर सकती हैं, जिससे कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है।	सबसे हानिकारक लेकिन पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा पूरी तरह से अवशोषित होते हैं और पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंचते हैं।
त्वचा की गहरी परतों को क्षतिग्रस्त करने के लिए जिम्मेदार है।	अधिकांश सौर यूवी-बी को वायुमंडल द्वारा फिल्टर किया जाता है।	
त्वचा के कैंसर के विकास को बढ़ाता है।		

05 प्रवासी श्रमिक संरक्षण कानून, 1979

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में एक मालगाड़ी की चपेट में आने से 16 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई। इस घटना के बाद से, प्रवासी श्रमिकों के कल्याण और कानूनी सुरक्षा अधिकारों के बारे में कई सवाल उठ रहे हैं।
- श्रम कल्याण के लिए काम कर रहे लोगों ने रोजगार को विनियमित करने और प्रवासी श्रमिकों की काम करने की स्थिति में सुधार करने के लिए 'प्रवासी श्रमिक सुरक्षा कानून 1979' को याद किया है।

2. प्रवासी श्रमिक सुरक्षा कानून 1979

- प्रवासी श्रमिक संरक्षण कानून, 1979 रोजगार को विनियमित करता है और भारत में प्रवासी श्रमिकों की कार्य स्थितियों में सुधार करता है।
- यह सरकार को प्रतिष्ठानों द्वारा नियोजित श्रमिकों की संख्या के बारे में जानकारी रखने और प्रवासी श्रमिकों की स्थितियों में सुधार के लिए कानूनी आधार प्रदान करने में भी मदद करता है।
- इस कानून के अनुसार, प्रवासी श्रमिकों को तैनात करने वाले ठेकेदारों को भर्ती के नियम और शर्तें प्रदान करनी चाहिए। ये हैं-पारिश्रमिक देय, काम के घंटे, मजदूरी का निर्धारण और अन्य आवश्यक सुविधाएं इत्यादि ।
- प्रवासी श्रमिक की मजदूरी दर, छुट्टियों की संख्या, काम के घंटे और अन्य शर्तें वैसी ही होनी चाहिए जैसी अन्य स्थानीय कामगारों को एक ही प्रतिष्ठान में दी जाती हैं ,बशर्ते कि उनके काम की प्रकृति समान हो।
- प्रवासी श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में उल्लिखित मजदूरी से कम नहीं होनी चाहिए।

3. वेतन संहिता कानून 2019

- वर्तमान में, देश में 44 श्रम कानून हैं। केंद्र सरकार चाहती है कि इन 44 कानूनों को 4 कानूनों के तहत रखा जाए- वेतन संहिता, औद्योगिक सुरक्षा और कल्याण, सामाजिक सुरक्षा और औद्योगिक संबंध।
- कोड ऑन वेजेस बिल का मकसद सभी क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी को तय करना है, चाहे वो मजदूर उद्योग, व्यापार, निर्माण या अन्य किसी भी क्षेत्र का क्यों न हो।
- इस अधिनियम के मुताबिक, केंद्र सरकार देशभर में न्यूनतम मजदूरी तय करने में आने वाली दिक्कतों को दूर करते हुए उसे मजदूरों के जीवन स्तर में सुधार करने लायक बनाएगी। साथ ही, उसे अलग-अलग इलाकों के मुताबिक एक समान बनाया जाएगा।
- न्यूनतम वेतन तय करने के लिए ट्रेड यूनियनों, नियोक्ताओं और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों की त्रिपक्षीय समिति बनती है , जो देशभर में कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन तय करती है।
- वहीं, न्यूनतम मजदूरी की राशि मुख्य तौर पर क्षेत्र और कुशलता के आधार पर काम के घंटे या वस्तु निर्माण की संख्या को देखते हुए तय की जाएगी। इस अधिनियम के मुताबिक, हर पांच साल या उससे कम वक्त में केंद्र या राज्य सरकार द्वारा त्रिपक्षीय समिति के माध्यम से न्यूनतम मजदूरी की समीक्षा और पुनर्निधारण किया जाएगा।
- यही नहीं, इसे तय करने के दौरान कर्मचारी की कार्यकुशलता और काम की मुश्किलों जैसी बातों को भी ध्यान में रखा जाएगा। इसके अलावा, केंद्र या राज्य सरकार सामान्य कार्य दिवस के लिए काम के घंटे भी तय कर सकती है। जबकि सामान्य कार्य दिवस के दौरान अगर कर्मचारी तय घंटों से ज्यादा काम करता है तो वो ओवरटाइम मजदूरी का हकदार होगा। यहां यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि अतिरिक्त कार्य के लिए उसे मिलने वाली मजदूरी की दर, आम दर के मुकाबले कम से कम दोगुनी होगी।

4. निष्कर्ष

- नए कोड (2019) में 1979 अधिनियम के समान प्रावधान हैं। यह अंतर-राज्य प्रवासी श्रमिकों के विस्थापन और यात्रा के भत्ता की परिकल्पना करता है। हालांकि, द सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस (सीटू) ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला है कि 2019 कोड और 1979 अधिनियम को एक साथ विलय नहीं किया जाना चाहिए और प्रवासी श्रमिकों की बेहतर स्थितियों के लिए सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।

06 पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में भारत ने गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र में एक प्रमुख जल विद्युत संयंत्र के निर्माण के लिए पाकिस्तान और चीन के एक कदम का विरोध किया है।

2. प्रमुख बिन्दु

- दरअसल चीन की सरकारी कंपनी पीओके के गिलगित-बाल्टिस्तान में दिआमेर-ब्हाशा बांध बना रही है, जिसका भारत लगातार विरोध कर रहा है। ऐसे में चीन ने अपनी सरकारी कंपनी का बचाव करते हुए कहा कि इस बांध को स्थानीय लोगों की भलाई के लिए बनाया जा रहा है।
- पाकिस्तान की सरकार ने चीन की सरकारी कंपनी (चाइना पावर) और पाकिस्तानी सेना की बांध निर्माण से संबंधित कंपनी (फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गनाईजेशन-एफडबल्यूओ) के बीच 5.8 अरब अमेरिकी डॉलर के संयुक्त करार पर हस्ताक्षर किए थे।
- गिलगित-बाल्टिस्तान में बांध के निर्माण के लिए पाकिस्तान की तरफ से अनुबंध दिए जाने पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई थी। भारत ने इस मामले पर कहा था कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले क्षेत्र में ऐसी परियोजनाएं शुरू किया जाना ठीक नहीं है।

3. पाक अधिकृत कश्मीर

- 1947 में स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर पर हमला कर दिया था। तब वहां के राजा हरिसिंह ने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई थी। फौजी मदद के बदले भारत ने कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाने की शर्त रखी थी।
- कश्मीर में युद्ध के दौरान ही भारत सरकार ने इस मामले को संयुक्त राष्ट्र में उठाया था। इसके बाद यथास्थिति रखने के लिए कहा गया और जम्मू-कश्मीर का काफी बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया।
- पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) मूल कश्मीर का वह भाग है, जिसकी सीमाएं पाकिस्तानी पंजाब, उत्तर-पश्चिम में अफगानिस्तान के वाखान गलियारे से, चीन के जिन्जियांग क्षेत्र से और पूर्व में भारतीय कश्मीर से लगती है।
- यदि गिलगित-बाल्टिस्तान को हटा दिया जाए तो आजाद कश्मीर का क्षेत्रफल 13,300 वर्ग किलोमीटर (भारतीय कश्मीर का लगभग 3 गुना) पर फैला है और इसकी आबादी लगभग 40 लाख है।
- पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद है और इसमें आठ जिले, 19 तहसीलें और 182 संघीय परिषद हैं।
- पाक अधिकृत कश्मीर के हुन्जा-गिलगित के एक हिस्से रक्सम और बाल्टिस्तान की शक्सगम घाटी क्षेत्र को, पाकिस्तान ने 1963 में चीन को सौंप दिया था। इस क्षेत्र को सीडेड एरिया या ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट भी कहते हैं।

4. गिलगित बाल्टिस्तान (GilgitBaltistan)

- गिलगित-बाल्टिस्तान, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के उत्तर में और पाकिस्तानी प्रांत खैबर पख्तूनख्वा के पूर्व में स्थित पहाड़ी क्षेत्र है। गिलगित बाल्टिस्तान 72,871 वर्ग किमी. में फैला है जिसका आकार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से लगभग साढ़े पांच गुना अधिक है। यहाँ की जनसंख्या केवल 20 लाख है।
- गिलगित बाल्टिस्तान को तीन प्रशासनिक प्रभागों और 10 जिलों में विभाजित किया गया है।

5. चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा

- ओबोर (वन बेल्ट, वन रोड) चीन का अति महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिसको चीन प्राचीन सिल्क रूट की तर्ज पर विकसित कर रहा है। इस रूट के जरिए चीन मध्य एशिया से लेकर यूरोप और फिर अफ्रीका तक स्थलीय व समुद्री मार्ग तैयार करने में जुटा है।
- चीन की ओर से इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य व्यापार को बढ़ावा देने का प्रयास बताया जा रहा है। ओबोर के ही अंतर्गत चीन पाकिस्तान में चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) को विकसित कर रहा है। इसके लिए चीन ने पाकिस्तान को 46 हजार करोड़ डॉलर की आर्थिक मदद मुहैया कराई है।
- सीईपीसी में चीन ग्वादर पोर्ट से एक मार्ग पाकिस्तान के भीतर होकर अपने सीमा तक लेकर जाएगा। चीन के इस प्रोजेक्ट को लेकर भारत की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई है, क्योंकि ग्वादर पोर्ट से शुरू होने वाला यह मार्ग पाकिस्तान के भीतर और फिर पीओके जिसको भारत अपना हिस्सा बताता है, से होते हुए चीन पहुंचेगा।

07 नमूना पंजीकरण प्रणाली की रिपोर्ट

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में भारत के रजिस्ट्रार जनरल ने वर्ष 2018 के लिए राष्ट्रीय जन्म दर, मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर पर डाटा जारी किया।

2. प्रमुख बिन्दु

- रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, 2018 में राष्ट्रीय जन्म दर 20 जबकि, मृत्यु दर 6.2 और शिशु मृत्यु दर 32 है।
- मध्य प्रदेश में देश में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है, जबकि नागालैंड में शिशु मृत्यु दर सबसे निम्न है।
- छत्तीसगढ़ में मृत्यु दर सबसे अधिक है, जबकि दिल्ली में सबसे कम है ।
- बिहार जन्म दर में पहले पायदान पर बना हुआ है जबकि अंडमान और निकोबार सबसे निचले पायदान पर है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म दर पहले की तरह अधिक है, परन्तु इस मामले में गाँव और शहर का अंतर पहले से घटा है। गौरतलब है कि पिछले दशक में जन्म दर में 11% की कमी आई है।
- 2009 में जन्म दर 22.5 थी जो 2018 में 20.0 रह गई। उसी अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म दर 24.1 से घटकर 21.6 हुई तो शहरी क्षेत्रों में 18.3 से घटकर 16.7 हो गई।
- 1971 में मृत्यु दर 14.9 थी जो 2018 में घटकर 6.2 हो गई. छत्तीसगढ़ की मृत्यु दर सबसे ऊँची है जबकि दिल्ली की सबसे कम है। ग्रामीण क्षेत्रों में मृत्यु दर की गिरावट अधिक तेज रही।
- पिछले दशक में अखिल भारतीय स्तर पर मृत्यु दर 7.3 से 6.2 हो गई। गांवों में यह गिरावट 7.8 से 6.7 तक हुई जबकि शहरी क्षेत्रों में मृत्यु दर 5.8 से घटकर 5.1 तक पहुंची।
- 1971 (129) की तुलना में शिशु मृत्यु दर 32 थी। सबसे अधिक मृत्यु दर मध्य प्रदेश (48) की थी और जबकि सबसे कम नागालैंड (4) में थी। दस वर्षों में शिशु मृत्यु दर गांवों में 35% घटी, जबकि शहरों में यह गिरावट 32% रही। अखिल भारतीय स्तर पर पिछले दशक में शिशु मृत्यु दर 50 से घटकर 32 हो गई।
- इस बीच, जम्मू और कश्मीर में भी शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) में गिरावट के साथ मातृ और बाल स्वास्थ्य से संबंधित कई संकेतकों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।
- गोवा, केरल और सिक्किम संयुक्त रूप से सात प्रतिशत आईएमआर के साथ तीसरे स्थान पर रहे हैं।
- गौरतलब है कि केंद्रशासित प्रदेश में शिशु मृत्यु दर को 2022 तक एक अंक तक कम करने के लिए, एक कार्य योजना विकसित की गई है, जिसे विभिन्न स्तरों पर लागू किया जा रहा है।

3. नमूना पंजीकरण प्रणाली

- यह एक जनसांख्यिकीय सर्वेक्षण है जो जन्म दर, मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर पर वार्षिक अनुमान प्रदान करता है। यह राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तरों पर मृत्यु दर संकेतक भी जारी करता है।
- इस प्रणाली को कुछ राज्यों में 1964-65 में शुरू किया गया था। बाद में यह 1969-70 में पूरे भारत में शुरू की गयी। एसआरएस के तहत एक अंशकालिक गणक द्वारा गाँवों/शहरों के जन्म और मृत्यु दर की निरंतर गणना की जाती है और एक पूर्णकालिक गणक द्वारा अर्द्धवार्षिक पूर्वव्यापी सर्वेक्षण किया जाता है।
- इन दोनों स्रोतों से प्राप्त आँकड़ों का मिलान किया जाता है। बेमेल और आंशिक रूप से सुमेलित आँकड़ों को फिर से सत्यापित किया जाता है ताकि सही एवं स्पष्ट गणना की जा सके और वैध आँकड़े प्राप्त हो सकें।

7 वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर (ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

01 भारत-नेपाल सीमा विवाद

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. कैलाश मानसरोवर यात्रा की अवधि को कम करने के लिए उत्तराखण्ड के धारचुला से लिपुलेख दर्रे तक 80 किमी. एक नई लिंक सड़क का उद्घाटन किया गया।
2. यह लिंक सड़क उत्तराखण्ड के पिथौरागढ़ को लिपुलेख से जोड़ती है, जिसे बांग्लादेश अपना हिस्सा मानता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) केवल 1 और 2 (d) न तो 1 न ही 2

उत्तरः (a)

व्याख्याः हाल ही में कैलाश मानसरोवर के तीर्थयात्रियों के लिए एक लिंक रोड का उद्घाटन किया गया है। यह लिंक रोड उत्तराखण्ड के धारचुला से होकर लिपुलेख दर्रे तक 80 किमी लम्बा है। इस क्षेत्र को नेपाल, भारत-चीन सीमा पर अपने क्षेत्र का हिस्सा मानता है। इस तरह से कथन 1 सही है, अतः उत्तर (a) होगा।

02 मिशन सागर

प्र. 'मिशन सागर' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. समुद्री कूटनीति को प्राथमिकता देते हुए भारत सरकार ने मिशन सागर की शुरूआत की थी।
2. मिशन सागर के माध्यम से, भारत अपने समुद्री पड़ोसी देशों के साथ आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ा सकता है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 न ही 2

उत्तरः (c)

व्याख्याः समुद्री कूटनीति को प्राथमिकता देते हुए भारत सरकार के द्वारा कई नीतियाँ चलाई गई हैं। भारत सरकार के द्वारा 2015 में अर्थव्यवस्था पर ध्यान देते हुए सागर (Security and Growth for all in the Region-SAGAR) कार्यक्रम की शुरूआत की गई थी। सागर नीति के तहत भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धी सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है। इस तरह से दोनों कथन सत्य हैं, अतः उत्तर (c) होगा।

03 वैश्विक पोषण रिपोर्ट-2020

प्र. "वैश्विक पोषण रिपोर्ट-2020" के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. इस रिपोर्ट के अनुसार 'विश्व स्वास्थ्य सभा' (World health Assembly) द्वारा 6 पोषण लक्ष्यों की पहचान कर, कुपोषण मुक्त होने की अवधि 2012-2025 रखी गई है।
2. भारत पोषण लक्ष्यों को प्राप्त करने वाले विश्व के अग्रणी देशों शामिल है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 न ही 2

उत्तरः (a)

व्याख्याः वर्ष 2012 में विश्व स्वास्थ्य सभा (World health assembly) में माँ, शिशु और किशोर बच्चों में 6 पोषण लक्ष्यों की पहचान की गई, जिन्हें वर्ष 2025 तक प्राप्त करना था। हाल ही में वैश्विक पोषण रिपोर्ट-2020 के अनुसार भारत उन 88 देशों में शामिल है, जो 2025 तक वैश्विक पोषण लक्ष्यों को पूरा करने में विफल रह सकता है। इस तरह कथन 2 गलत है, अतः उत्तर (a) होगा।

04 पराबैंगनी कीटाणुनाशक विकिरण (यूवीजीआई)

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. सूर्य से आने वाली अल्ट्रावॉयलेट प्रकाश में दृश्य प्रकाश की तुलना में अत्यधिक तरंग दैर्ध्य होते हैं।

2. पराबैंगनी कीटाणुनाशक विकिरण (यूबीजीआई), सूक्ष्मजीवों के प्रति संवेदनशील होते हैं।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनो (d) न तो 1 न ही 2

उत्तरः (b)

व्याख्याः सूर्य से आने वाली अल्ट्रावॉयलेट प्रकाश में दृश्य प्रकाश की तुलना में कम तरंगदैर्ध्य होते हैं, इसलिए यह नग्न आँखों को दिखाई नहीं देता है। अल्ट्रावॉयलेट जर्मीसाइडल इरेडिएशन (UVGI) सूक्ष्म जीवों के प्रति संवेदनशील होते हैं। इस तरह से कथन 1 गलत है अतः उत्तर (b) होगा।

05 प्रवासी श्रमिक संरक्षण कानून

प्र. निम्नलिखित कथनों में गलत कथन का चयन कीजिए-

(a) प्रवासी श्रमिक संरक्षण कानून, 1979 रोजगार को विनियमित करता है।

(b) वर्तमान में भारत में 80 श्रम कानून हैं।

(c) वेतन संहिता कानून 2019 के मुताबिक, केन्द्र सरकार देशभर में न्यूनतम मजदूरी तय करने में आने वाली दिक्कतों में सुधार करेगी।

(d) वेतन संहिता कानून 2019 अंतर-राज्य प्रवासी श्रमिकों के विस्थापन और यात्रा के भत्ता की परिकल्पना को स्वीकार करता है।

उत्तरः (b)

व्याख्याः प्रवासी श्रमिक संरक्षण कानून, 1979 रोजगार को विनियमित करता है और भारत में प्रवासी श्रमिकों की कार्य स्थितियों में सुधार करता है। वर्तमान में भारत में 44 (न कि 80) श्रम कानून हैं। इस तरह कथन (b) गलत है, अतः उत्तर (b) होगा।

06 पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर

प्र. पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. पाकिस्तान कब्जे वाले कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद है और इसमें आठ जिले हैं।
2. गिलगित बाल्टिस्तान 72871 वर्ग किमी. में फैला है, जिसका आकार पाक अधिकृत कश्मीर से लगभग 8 गुना अधिक है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तरः (a)

व्याख्याः गिलगित बाल्टिस्तान 72871 वर्ग किमी. में फैला है, जिसका आकार पाक अधिकृत कश्मीर से लगभग साढ़े पाँच गुना अधिक है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद है और इसमें आठ जिले, 19 तहसीलें तथा 182 संघीय परिषद हैं। इस तरह कथन 2 गलत है, अतः उत्तर (a) होगा।

07 नमूना पंजीकरण प्रणाली की रिपोर्ट

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी ऑकड़ों के अनुसार, 2018 में राष्ट्रीय जन्म दर 20, जबकि मृत्यु दर 6.2 है।
2. छत्तीसगढ़ में मृत्यु-दर सबसे कम तथा झारखण्ड में सबसे अधिक है।
3. बिहार जन्म-दर के मामलें में पहले स्थान पर है, जबकि अंडमान एवं निकोबार निचले मैदान पर है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) उपरोक्त सभी

उत्तरः (c)

व्याख्याः रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी ऑकड़ों के अनुसार 2018 में राष्ट्रीय जन्म-दर 20 जबकि मृत्यु-दर 6.2 है। छत्तीसगढ़ में मृत्यु-दर सबसे अधिक तथा दिल्ली में सबसे कम है। वहीं बिहार जन्म दर के मामलें में पहले स्थान पर है, जबकि अंडमान एवं निकोबार निचले मैदान पर है। इस तरह कथन 2 गलत है, अतः उत्तर (c) होगा।

7 महत्वपूर्ण खबरें

01 शेकातकर समिति रिपोर्ट की समीक्षा

- देश भर में हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने सेनाओं के सुधार से सम्बन्धित शेकातकर समिति की रिपोर्ट की समीक्षा के लिये बैठक बुलाई गई थी।
- इस बैठक में तीनों सेनाओं के प्रमुख चीफ आफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, थलसेना प्रमुख जनरल एम एम नरवणे, नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आर के एस भदौरिया और रक्षा सचिव अजय कुमार ने भाग लिया। गौरतलब है कि तीनो सेनाओं के संरचनात्मक ढांचे में सुधार के लिये शेकातकर समिति का गठन तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर परिकर के कार्यकाल में किया गया था। जनरल डी बी शेकातकर ने अपनी रिपोर्ट दिसम्बर, 2016 में सौंपी थी।
- केन्द्र सरकार ने अगस्त 2017 में लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) डी बी शेकतकर की अध्यक्षता वाली एक समिति की सिफारिशों के आधार पर भारतीय सेना के लिए महत्वाकांक्षी सुधार पहल की घोषणा की थी।
- इस समिति ने सशस्त्र सेनाओं को अधिक चुस्त दुरुस्त बनाने और सैन्य बलों के आकार में संतुलन लाने के बारे में अपनी अहम सिफारिश की थी जिसे काफी हद तक अमल में लाया जा चुका है। विदित हो कि अगस्त, 2017 में तत्कालीन रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने थलसेना के लिये दी गई 65 सिफारिशों को लागू करने की हरी झंडी दी थी।
- जनरल शेकातकर ने यह अहम सिफारिश की थी कि भारत का रक्षा बजट देश के सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में 2.5 से तीन प्रतिशत होना चाहिये लेकिन वित्तीय दिक्कतों की वजह से सरकार ने अपने रक्षा बजट में इतना प्रावधान नहीं कर सकी है।
- समीक्षा रिपोर्ट में रेडियो मॉनिटरिंग कंपनियों, कॉर्प्स एयर सपोर्ट सिग्नल रेजिमेंट, एयर फॉर्मेशन सिग्नल रेजिमेंट, कम्पोजिट सिग्नल रेजिमेंट और कॉर्प्स ऑपरेटिंग और इंजीनियरिंग सिग्नल रेजिमेंट के विलय को शामिल करने के लिए सिग्नल प्रतिष्ठानों के अनुकूलन पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है।

02 आत्मनिर्भर भारत अभियान

- हाल ही में केन्द्र सरकार ने कोरोना संकट के इस दौर में भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज का ऐलान किया है। इस पैकेज को 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' का नाम दिया गया है। केन्द्र सरकार का कहना है कि इस बड़े राहत पैकेज से भारत में लोगों को कामकाज करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और यह कोशिश की जाएगी कि अगले कुछ सालों में भारत अपनी जरूरत की अधिकतर चीजों के लिए खुद पर निर्भर हो जाए। इस हिसाब से अभियान का नाम आत्मनिर्भर भारत अभियान रखा गया है।
- इस योजना अथवा अभियान का उद्देश्य 130 करोड़ भारतवासियों को आत्मनिर्भर बनाना है ताकि देश का हर नागरिक संकट की इस घड़ी में कदम से कदम मिलाकर चल सके और कोविड-19 की महामारी को हराने में अपना योगदान दे सके। इस योजना के जरिये देश की अर्थ व्यवस्था को 20 लाख करोड़ रूपये का संबल मिलेगा।

आत्मनिर्भर भारत के पाँच किस्त

- वित्त मंत्री ने पहले किस्त में 5.94 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ब्यौरा दिया है, जिसमें मुख्य रूप से छोटे व्यवसायों को कर्ज देने और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों तथा बिजली वितरण कंपनियों को मदद के लिए दी जाने वाली राशि की जानकारी दी गई।
- वित्तमंत्री ने दूसरे किस्त में 3.10 लाख करोड़ रूपए के आर्थिक पैकेज की घोषणाएँ की, जिनमें फंसे हुए प्रवासी मजदूरों को दो महीने तक नि:शुल्क अनाज देने और किसानों को कर्ज देने की घोषणाएँ शामिल है।
- वित्त मंत्री ने तीसरे किस्त में 1.5 लाख करोड़ रुपए का ब्यौरा दिया, जिसे मुख्य तौर पर खेती के बुनियादी ढाँचे को ठीक करने और खेती से जुड़े संबंधित क्षेत्रों के लिए खर्च किया जाएगा।
- वित्त मंत्री ने चौथे और पाँचवें किस्त में संरचनात्मक सुधारों के लिए होने वाले खर्च का विवरण दिया। इनमें कोयला क्षेत्र, खनन, विमानन, अंतरिक्ष विज्ञान से लेकर शिक्षा, रोजगार, व्यवसायों की मदद और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए सुधार के उपाय शामिल हैं। साथ ही राज्यों को अतिरिक्त मदद देने की भी घोषणा की गई है। इन मदों पर 48,100 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा हुई है।

03 अमेरिकी सांसदों द्वारा डब्ल्यूएचओ में ताइवान की भागीदारी का समर्थन

- हाल ही में अमेरिकी कांग्रेस के विदेश मामलों की समितियों के नेताओं ने लगभग 60 देशों को पत्र लिखा कि वे कोरोनोवायरस महामारी से लड़ने के लिए ताइवान को विश्व स्वास्थ्य संगठन में भागीदारी का समर्थन करने के लिए कहें। इनमें जर्मनी, थाईलैंड, कनाडा, ब्रिटेन, सऊदी अरब और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश शामिल हैं।
- विदित हो कि ताइवान, जो संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं है, को चीन की आपत्तियों के कारण, डब्ल्यूएचओ, जो संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है, से बाहर रखा गया है। ताइवान को 2009 से 2016 तक महानिदेशक की ओर से 'चाइनीज ताइपे' के नाम से न्योता दिया गया था। तब महानिदेशक हॉन्गकॉन्ग के पूर्व स्वास्थ्य अधिकारी डॉ मार्ग्रेट चेन थे। इस न्योते को मई 2017 में रद्द कर दिया गया।

चीन- ताइवान संबंध

- चीन ताइवान को हमेशा से अपना अभिन्न अंग मानता रहा है। जबकि ताइवान की एक

बड़ी आबादी अपने आपको को अलग देश के रूप में मानती है। वर्ष 1980 में चीन ने 'वन कंट्री टू सिस्टम' के तहत ताइवान के सामने प्रस्ताव रखा कि अगर वों अपने आप को चीन का हिस्सा मान लेता है तो उसे स्वायत्तता प्रदान कर दी जाएगी। हालांकि ताइवान ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। साल 2000 में चेन श्वाम बियान ताइवान के राष्ट्रपति चुने गये जिन्होंने खुलेआम ताइवान की स्वतंत्रता का समर्थन किया, जिसका की चीन ने खुलकर विरोध किया। तब से दोनों के संबंध तनावपूर्ण ही रहे हैं।
- 2018 में 226 बिलियन डॉलर के कुल व्यापार के साथ चीन ताइवान का शीर्ष व्यापार भागीदार है। ताइवान चीन के साथ एक बड़ा व्यापार अधिशेष की स्थिति में रहता है।
- ताइवान विभिन्न नामों के तहत विश्व व्यापार संगठन, एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग और एशियाई विकास बैंक का सदस्य है।
- हालांकि चीन का सख्त नजरिया है कि ताइवान स्वीकार करे कि वो चीन का हिस्सा है, इसके बाद ही उसे WHO की बैठक में हिस्सा लेने दिया जाए। ताइवान चीन की इस शर्त को पूरी तरह खारिज कर चुका है। विदित हो कि WHO सिर्फ दो तरीकों से किसी देश को ऑब्जर्वर के नाते न्योता दे सकता है, या तो WHO की ओर से पारित प्रस्ताव या फिर WHO महानिदेशक की ओर से दिया गया न्योता।

04 भारतीय सेना 'टूर ऑफ ड्यूटी' लागू करेगी

- वर्तमान में COVID-19 के कारण उत्पन्न देश की बेरोजगारी से लड़ने में मदद करने के लिए भारतीय सेना "टूर ऑफ ड्यूटी" लॉन्च करने जा रही है। टूर ऑफ ड्यूटी भारतीय सेना में अधिकारियों और सैनिकों के रूप में काम करने के लिए युवाओं के लिए तीन साल की इंटर्नशिप है।
- टूर ऑफ ड्यूटी उन व्यक्तियों के लिए है जो रक्षा सेवाओं को एक कैरियर के रूप में लेने की इच्छा नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी सशस्त्र बलों में भर्ती होकर देश के लिए कुछ करना चाहते हैं।
- यह कदम देश में COVID-19 द्वारा उत्पन्न बेरोजगारी संकट को दूर करने में भी मदद करेगा। हालांकि इन उम्मीदवारों के लिए प्रवेश मानदंड में कोई ढील नहीं दी जायेगी।
- भारत सरकार ने इस पहल के माध्यम से प्रशिक्षित, मेहनती, अनुशासित सैन्य प्रथाओं के माध्यम से देश के युवाओं को मार्गदर्शित करने की कोशिश की है। सेना के साथ

3 साल की सेवाओं के बाद इन युवाओं को नियुक्त करने के लिए और अधिक कॉर्पोरेट्स के आगे आने की उम्मीद है।

- इस योजना के तहत व्यक्ति द्वारा की गई कमाई को कर मुक्त बनाया गया है। साथ ही, इन उम्मीदवारों को सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में भी वरीयता दी जाएगी।
- लगभग 100 अधिकारियों और 1000 पुरुषों को ट्रायल के आधार पर इसे आगे बढ़ाया जाएगा। यदि परियोजना सफल होगी, तो रिक्तियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। यह प्रस्ताव सशस्त्र बलों में स्थायी सेवा की अवधारणा से अलग तीन वर्षों के लिए इंटर्नशिप की अवधारणा पर आधारित है।
- वर्तमान में, भारतीय सेना उम्मीदवारों को 10 वर्ष के शुरुआती कार्यकाल के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत नियुक्त करती है, जो 14 साल तक बढ़ाई जा सकती है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण, वेतन और भत्ते आदि सहित परियोजना को लागू करने की लागत लगभग 80-85 लाख रुपये की होगी, जिसमें 10 साल तक काम करने वाले अधिकारी के लिए 5.12 करोड़ रुपये और 14 साल बाद जारी रहने पर 6.83 करोड़ रुपये है।

- टूर ऑफ ड्यूटी का उद्देश्य युवाओं को एक इंटर्नशिप /अस्थायी अनुभव प्रदान करना है। इसके लिये 'टूर ऑफ ड्यूटी' की रैंक या फिर किसी अन्य अधिकारी रैंक के लिये किसी आकर्षक पैकेज, पुनर्वास पाठ्यक्रम, पेशेवर नकदी प्रशिक्षण अवकाश, पूर्व सैनिकों की स्थिति तथा पूर्व-सैनिकों की अंशदायी स्वास्थ्य योजना (Eň&Servicemen Contributory Health Scheme - ECHS) इत्यादि की आवश्यकता नहीं होगी। इससे युवाओं को सैन्य क्षेत्र में आने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

05 तेलंगाना के तेलिया रुमाल और झारखण्ड की सोहराई खोवर पेंटिंग को जी.आई. टैग

- हाल ही में भारत सरकार ने तेलंगाना के तेलिया रुमाल और झारखंड की सोहराई खोवर पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया है।

तेलिया रूमाल के बारे में

- तेलिया रुमाल बनाने के लिए कपड़े में कॉटन लूम के साथ जटिल हस्तनिर्मित का काम शामिल है जो केवल पारंपरिक हथकरघा प्रक्रिया का उपयोग करके बनाया जा सकता है और किसी अन्य यांत्रिक साधनों द्वारा नहीं। तेलिया रुमाल में तीन विशेष रंगों जैसे लाल, काले और सफेद का प्रयोग किया जाता है, और विभिन्न प्रकार के डिजाइन इसकी विशिष्टता का प्रतीक है।

सोहराई खोवर पेंटिंग के बारे में

- झारखंड की स्थानीय आदिवासी महिलाएं द्वारा सोहराई खोवर पेंटिंग बनाई जाती हैं जो एक पारंपरिक और अनुष्ठानिक भित्ति-चित्र कला है। यह हजारीबाग जिले में अधिकांश स्थानीय फसल काटने और विवाह के समय के दौरान ही प्रचलित है। इसे बनाने के लिए झारखंड के हजारीबाग जिले के क्षेत्र में मिलने वाली विभिन्न रंगों की स्थानीय और प्राकृतिक रूप से उपलब्ध मिट्टी का उपयोग किया जाता है।

भौगोलिक संकेतन का फायदा

- इससे उत्पाद की विश्वसनीयता में बढ़ावा होता है तथा उत्पाद को विशेषता प्राप्त होती है। इसके माध्यम से पुरानी जानकारी, उत्पादों और विनिर्माण की प्रक्रिया को रक्षित किया जाता है।
- भौगोलिक संकेतन से संबंधित उत्पाद के उत्पादन के निवेश के लिए निवेशक आसानी से मिल जाते हैं। इससे संबंधित क्षेत्र का विकास होता है तथा संबंधित क्षेत्र में समृद्धता आती है।

- इससे उपभोक्ता को भी फायदा होता है उन्हें विशुद्ध उत्पाद प्राप्त होते हैं और उन्हें जाली उत्पादों से छुटकारा मिलता है।

क्या है भौगोलिक संकेतन

- भारत में भौगोलिक संकेतन वस्तुओं के भौगोलिक संकेत अधिनियम 1999 (पंजीकरण और सुरक्षा) के आधार पर प्रदान किए जाते हैं। यह एक ऐसा संकेत है जो वस्तुओं की पहचान सुनिश्चित करता है यह पहचान कृषि उत्पाद, विनिर्मित उत्पाद तथा प्राकृतिक वस्तुओं को उनके विशेष क्षेत्र (राज्य/देश) में उत्पन्न होने के कारण प्रदान की जाती है।
- भौगोलिक संकेतक सामान्यत: 10 वर्ष के लिए दिया जाता है, 10 साल के बाद इसका नवीनीकरण कराना होता है।

06 भारत–चीन सीमा विवाद

- हाल ही में पूर्वी लद्दाख की पैंगोंग झील और सिक्किम के नाकू ला सेक्टर विवाद के कारण सुर्खियों में है। दोनों जगहों के बीच की दूरी एक हजार किलोमीटर से भी ज्यादा है। दोनों ही इलाके भारत-चीन के बीच की 3488 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में आते हैं।
- 14 हजार 270 फीट की ऊंचाई पर मौजूद पैंगोंग झील का इलाका लद्दाख से तिब्बत तक फैला है। यह 134 किमी लंबी है। कहीं-कहीं 5 किमी तक चौड़ी भी है। दोनों देशों की सेना यहां नावों से पेट्रोलिंग करती है। दरअसल, इस झील के बीच में से भारत-चीन की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल गुजरती है। इसका 45 किमी का हिस्सा भारतीय नियंत्रण में है, जबकि शेष 90 किमी का हिस्सा चीनी नियंत्रण में है। इसी वजह से यहां अक्सर तनाव के हालात पैदा होते हैं। इस झील का निर्माण टेथिस जियोसिंक्लाइन से हुआ है। यह खारे पानी का झील है।

भारत- चीन सीमा

- भारत और चीन 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। दुर्भाग्य से, पूरी सीमा विवादित है। यह रेखा, जो दोनों देशों के बीच सीमा को चित्रित करती है, को लोकप्रिय रूप से मैकमोहन रेखा कहा जाता है, इसके जनक सर हेनरी मैकमोहन थे। वर्ष 1913 में, ब्रिटिश-भारत सरकार ने एक त्रिपक्षीय सम्मेलन बुलाया था, जिसमें भारतीय और तिब्बतियों के बीच चर्चा के बाद भारत और तिब्बत के बीच सीमा को औपचारिक रूप दिया गया था। एक कन्वेंशन को अपनाया गया, जिसके परिणामस्वरूप भारत-तिब्बत सीमा का परिसीमन हुआ। हालाँकि, यह सीमा चीन द्वारा विवादित है जो इसे अवैध मानता है।
- 1957 में, चीन ने अक्साई चिन पर कब्जा कर लिया और इसके माध्यम से एक सड़क का निर्माण किया। इस प्रकरण के बाद सीमा पर संघर्ष जारी रहा, जिसका अंत 1962 के सीमा युद्ध में हुआ। युद्ध के बाद अस्तित्व में आई सीमा को वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के रूप में जाना जाता है। यह एक सैन्य आयोजित लाइन है।
- दोनों देशों के बीच 1976 में हुई बातचीत ने भारत और चीन को 1981 में उच्च स्तरीय सीमा वार्ता शुरू करने के लिए सक्षम किया ताकि वे इस समस्या का हल ढूंढ सकें। आठ दौर के बाद, 1987 में वार्ता टूट गई। 1988 में, प्रधानमंत्री राजीव गांधी की चीन यात्रा के बाद, सीमा समस्या को देखने के लिए संयुक्त कार्य समूह (JWG) की स्थापना की गई थी।
- 1993 में, वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के साथ शांति और स्थिरता के रखरखाव पर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे और JWG की सहायता के लिए भारत-चीन विशेषज्ञ राजनयिक और सैन्य अधिकारियों के समूह की स्थापना की गई थी।
- 1996 में, LAC के साथ मिलिट्री फील्ड में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मीजर्स (CBMs) पर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। 2003 में, सीमा विवाद का राजनीतिक समाधान खोजने के लिए दो विशेष प्रतिनिधियों (भारत और चीन में से एक) को नियुक्त किया गया था।
- 2009 तक, इन दो विशेष प्रतिनिधियों ने 17 दौर की वार्ता की थी, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत अधिक प्रगति नहीं की है। हाल ही में, एनएसए अजीत डोभाल को वार्ता के लिए विशेष दूत के रूप में नियुक्त किया गया था लेकिन वार्ता में कोई विशेष सफलता नहीं मिली।

07 'गोल' कार्यक्रम

- हाल ही में केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय (Ministry of Tribal Affairs) द्वारा डिजिटल प्रणाली के माध्यम से आदिवासी युवाओं को मेंटरशिप प्रदान करने के लिये फेसबुक के साथ मिलकर 'गोइंग ऑनलाइन एस लीडर्स' (Going Online As Leaders - GOAL) कार्यक्रम के द्वितीय चरण की शुरुआत की गई है।
- कार्यक्रम के वर्तमान चरण में 5,000 आदिवासी युवाओं को सशक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि डिजिटल प्लेटफार्मों की पूरी क्षमता के साथ-साथ व्यापार करने के नए तरीकों को समझने, तलाशने और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जुड़ने के लिए साधन मिल सकें। कार्यक्रम में 2 छात्रों के लिए 1 परामर्शदाता होगा, जिसका उद्देश्य दूरस्थ क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति (एसटी) युवाओं को अपने प्रतिपालकों के साथ अपनी आकांक्षाओं, सपनों और प्रतिभाओं को साझा करने के लिए डिजिटल प्लेटफार्मों का उपयोग करने में सक्षम बनाना है।

गोल कार्यक्रम का उद्देश्य

- गोल कार्यक्रम का उद्देश्य डिजिटल मोड के माध्यम से आदिवासी युवाओं को सलाह प्रदान करना है और आदिवासी युवाओं की छिपी प्रतिभाओं की खोज करने के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना है। इससे आदिवासी युवाओं का व्यक्तिगत विकास होगा और उनके समाज के विकास उत्थान में भी योगदान देगा।

कार्यक्रम के मुख्य बिन्दु

- यह कार्यक्रम तीन मुख्य क्षेत्रों पर केंद्रित होगा-डिजिटल साक्षरता, जीवन कौशल और नेतृत्व एवं उद्यमशीलता, जिसमें कृषि, कला और संस्कृति, हस्तशिल्प और वस्त्र, स्वास्थ्य, पोषण जैसे क्षेत्र भी शामिल होंगे। कम से कम 250 फैलो, जो जनजातीय कार्य मंत्रालय से राष्ट्रीय छात्रवृत्ति और फैलोशिप योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं और आदिवासी प्रतिभा पूल का हिस्सा हैं, को भी कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिपालक बनाया जाएगा।
- सभी चयनित छात्रों को फेसबुक द्वारा स्मार्टफोन और इंटरनेट उपलब्धता (एक वर्ष के लिए) के साथ-साथ विभिन्न बाहरी फोरमों तक संपर्क प्रदान किया जाएगा, जो प्रतिभागियों को अपने उद्यमशीलता कौशल और नेतृत्व क्षमताओं को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करेगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से जनजातीय लाभार्थियों के बीच केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जनजातियों के कल्याण के साथ-साथ उनके मौलिक कर्तव्यों के लिए शुरू की गई विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूकता उत्पन्न किया जाएगा। इस कार्यक्रम को अन्य सरकारी योजनाओं जैसे मुद्रा योजना, कौशल विकास योजना, जन धन योजना, कौशल भारत, स्टार्ट अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और अन्य के साथ एकीकृत करने का प्रयास किया जाएगा। यह प्रतिभागियों को इन सरकारी योजनाओं के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम बनाएगा। गोल का प्रथम चरण फेसबुक द्वारा वर्ष 2019 में फरवरी से अक्तूबर, 2019 तक 5 राज्यों में 100 छात्रों (मेंटिस) और 25 परामर्शदाता (मेंटर्स)के साथ पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर संचालित किया गया था।

7 महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न
(मुख्य परीक्षा हेतु)

02

04

06

01 कोविड-19 के प्रभाव ने वैश्विक सरकारों के साथ ही साथ वैश्विक समाज के सोच को भी एक नई दिशा दी है। विश्लेषण करें।

02 भारतीय कृषि में महिलाओं के योगदान की चर्चा करते हुए, वर्तमान में इस क्षेत्र में उनके समक्ष आने वाली चुनौतियों का उल्लेख करें।

03 'मिशन सागर' क्या है? यह मिशन भारत को पूर्वी हिंद महासागर में अपनी स्थिति मजबूत करने में किस प्रकार सहायक होगा? चर्चा करें।

04 प्रवासी श्रमिक संरक्षण कानून 1979 क्या है? यह कानून भारतीय श्रमिकों के कल्याण को किस प्रकार संरक्षित करता है? उल्लेख करें।

05 धर्म और विज्ञान में अंतर्द्वंद स्वाभाविक है, लेकिन एक प्रगतिशील समाज धर्म और विज्ञान दोनों में सामंजस्य स्थापित करके अपना सम्पूर्ण विकास करता है। टिप्पणी करें।

06 वर्तमान में डेटा निगरानी और गोपनीयता को लेकर बहस तेज हो गई है। व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता के लिए सरकार द्वारा किये जा रहें कार्यों की चर्चा करें।

07 कोरोना वायरस महामारी ने अमेरिका-चीन व्यापार समझौते को किस प्रकार प्रभावित किया है, उल्लेख करें। साथ ही यह भी बतायें कि इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर किस प्रकार प्रभाव पड़ेगा?

7 महत्वपूर्ण तथ्य
(प्रारंभिक परीक्षा हेतु)

01 हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित डिफेंस टेस्टिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर स्कीम (DTIS) का कार्यकाल कितना है?

पांच साल

02 'इंडिया स्टेट एण्ड लेवल डिजीज बर्डेन इनिशिएटिव' अनुसार भारत में पांच साल से कम आयु के 68% बच्चों की मौत का कारण क्या है?

बाल एवं मातृ कुपोषण

03 टीवीएस समूह और सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन ने किस संस्था के साथ मिलकर 'द सुंदरम वेंटागो' नामक श्वसन यंत्र विकसित किया है?

आईआईटी-मद्रास

04 विश्व आर्थिक फोरम द्वारा हाल ही में जारी किये गये ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स (ETI) में भारत का रैंक क्या है?

74

05 हाल के आर्थिक पैकेज के अनुसार टैक्स डीडक्टिड सोर्स (TDS) और टैक्स कलेक्शन एट सोर्स (TCS) की दरों में कितने प्रतिशत की कमी की गयी है?

25%

06 हाल ही में आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज में, यह घोषणा की गई थी कि भारत को वैश्विक एमआरओ हब बनाया जायेगा। इस संदर्भ में, MRO किस क्षेत्र से जुड़ा है?

विमानन क्षेत्र

07 शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा?

सेंट पीटर्सबर्ग

7 महत्वपूर्ण उक्तियाँ (निबंध तथा उत्तर लेखन में उपयोगी)

01 किसी की निंदा ना करें: अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं, तो जरुर बढाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते, तो अपने हाथ जोड़िये, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिये, और उन्हें उनके मार्ग पे जाने दीजिये।

स्वामी विवेकानन्द

02 स्वतंत्र होना, सिर्फ अपनी जंजीर को उतार देना मात्र नहीं है, बल्कि इस तरह का जीवन जीना है कि औरों का सम्मान और स्वतंत्रता बढ़े।

नेल्सन मंडेला

03 किसी बच्चे की शिक्षा अपने ज्ञान तक सीमित मत रखिये, क्योंकि वह किसी और समय में पैदा हुआ है।

रबिन्द्रनाथ टैगोर

04 हमारा भाग्य सितारों और ग्रहों के बस में नहीं है बल्कि हमारे बस में है।

विलियम शेक्सपीयर

05 हर कोई दुनिया बदलना चाहता है, लेकिन कोई खुद को बदलने की नहीं सोचता है।

लियो टॉलस्टॉय

06 मन और शरीर दोनों के लिए स्वास्थ्य का रहस्य है–अतीत पर शोक मत करो, ना ही भविष्य की चिंता करो, बल्कि बुद्धिमानी और ईमानदारी से वर्तमान में जियो।

भगवान बुद्ध

07 कोई भी व्यक्ति जो बहुत अधिक पढ़ता है और अपने खुद के दिमाग का बहुत कम उपयोग करता है, वह सोचने की आलसी आदत में फंस जाता है।

अल्बर्ट आइंस्टीन

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

AN INTRODUCTION

Dhyeya IAS, a decade old institution, was founded by Mr. Vinay Singh and Mr. Q.H. Khan. Ever since its emergence it has unparallel track record of success. Today, it stands tall among the reputed institutes providing coaching for Civil Services Examination (CSE). The institute has been very successful in making potential realize their dreams which is evidents from success stories of the previous years.
Quite a large number of students desirous of building a career fro themselves are absolutely less equipped for the fairly tough competitive tests they have to appear in. Several others, who have a brilliant academic career, do not know that competitive exams are vartly different from academic examination and call for a systematic and scientifically planned guidance by a team of experts. Here one single move my invariably put one ahead of many others who lag behind. Dhyeya IAS is manned with qualified & experrienced faculties besides especially designed study material that helps the students in achieving the desired goal.
Civil Services Exam requires knowledge base of specified subjects. These subjects though taught in schools and colleges are not necessarily oriented towards the exam approach. Coaching classes at Dhyeya IAS are different from classes conducted in schools and colleges with respect to their orientation. Classes are targeted towards the particular exam. classroom guidance at Dhyeya IAS is about improving the individuals capacity to focus, learn and innovate as we are comfortably aware of the fact that you can't teach a person anything you can only help him find it within himself.

DSDL Prepare yourself from distance

Distance learning Programme, DSDL, primarily caters the need for those who are unable to come to metros fro economic or family reason but have ardent desire to become a civil servant. Simultaneously, it also suits to the need of working professionals, who are unable to join regular classes due to increase in work load or places of their posting. The principal characteristic of our distance learning is that the student does not need to be present in a classroom in order to participate in the instruction. It aims to create and provide access to learning when the source of information and the learners are separated by time and distance. Realizing the difficulties faced by aspirants of distant areas, especially working candidates, in making use of the institute's classroom guidance programme, distance learning system is being provided in General Studies.The distance learning material is comprehensive, concise and examoriented in nature. Its aim is to make available almost all the relevant material on a subject at one place. Materials on all topics of General Studies have been prepared in such a way that, not even a single point will be missing. In other words, you will get all points, which are otherwise to be taken from 6-10 books available in the market / library. That means, DSDL study material is undoubtedly the most comprehensive and that will definitely give you added advantage in your Preliminary as well as Main Examination. These materials are not available in any book store or library. These materials have been prepared exclusively for the use of our students. We believe in our quality and commitment towards making these notes indispensable for any student preparing for Civil Services Examination. We adhere all pillars of Distance education.

Face to Face Centres

DELHI (MUKHERJEE NAGAR) : 011-49274400 | 9205274741, **DELHI (RAJENDRA NAGAR)** : 011-41251555 | 9205274743, **DELHI (LAXMI NAGAR)** : 011-43012556 | 9205212500, **ALLAHABAD** : 0532-2260189 | 8853467068, **LUCKNOW (ALIGANJ)** 9506256789 | 7570009014, **LUCKNOW (GOMTI NAGAR)** 7234000501 | 7234000502, **GREATER NOIDA RESIDENTIAL ACADEMY** : 9205336037 | 9205336038, **BHUBANESWAR** : 8599071555, **SRINAGAR (J&K)** : 9205962002 | 9988085811

Live Streaming Centres

BIHAR: PATNA – 6204373873, 9334100961 | **CHANDIGARH** – 9216776076, 8591818500 | **DELHI & NCR** : FARIDABAD – 9711394350, 1294054621 | **GUJARAT**: AHMEDABAD - 9879113469 | **HARYANA**: HISAR – 9996887708, 9991887708, KURUKSHETRA – 8950728524, 8607221300 | **MADHYA PRADESH**: GWALIOR -9993135886, 9893481642, JABALPUR-8982082023, 8982082030, REWA –9926207755, 7662408099 | **MAHARASHTRA**: MUMBAI - 9324012585 | **PUNJAB**: PATIALA - 9041030070, LUDHIANA – 9876218943, 9888178344 | **RAJASTHAN**: JODHPUR - 9928965998 | **UTTARAKHAND**: HALDWANI-7060172525 | **UTTAR PRADESH**: ALIGARH – 9837877879, 9412175550, AZAMGARH - 7617077051, BAHRAICH - 7275758422, BAREILLY - 9917500098, GORAKHPUR - 7080847474, 7704884118, KANPUR - 7275613962, LUCKNOW (ALAMBAGH) - 7518573333,7518373333, MORADABAD - 9927622221, VARANASI - 7408098888

YouTube dhyeyaias | dhyeyaias.com | /dhyeya1 | STUDENT PORTAL

TRUEWORD
Quest for Wisdom

Price ₹ 40

Dhyeya IAS Now on Telegram

Join Dhyeya IAS Telegram Channel from link the given below

https://t.me/dhyeya_ias_study_material

नोट : पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम App Play Store से Install कर ले उसके बाद लिंक में क्लिक करें जिससे सीधे आप हमारे चैनल में पहुँच जायेंगे।

You can also join Telegram Channel through our website

www.dhyeyaias.com

www.dhyeyaias.in

ध्येयIAS most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

Subscribe Dhyeya IAS Email Newsletter
(ध्येय IAS ई-मेल न्यूजलेटर सब्स्क्राइब करें)

जो विद्यार्थी ध्येय IAS के व्हाट्सएप ग्रुप (Whatsapp Group) से जुड़े हुये हैं और उनको दैनिक अध्ययन सामग्री प्राप्त होने में समस्या हो रही है | तो आप हमारेईमेल लिंक Subscribe कर ले इससे आपको प्रतिदिन अध्ययन सामग्री का लिंक मेल में प्राप्त होता रहेगा | **ईमेल से Subscribe करने के बाद मेल में प्राप्त लिंक को क्लिक करके पुष्टि (Verify) जरूर करें अन्यथा आपको प्रतिदिन मेल में अध्ययन सामग्री प्राप्त नहीं होगी |**

नोट (Note): अगर आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में अध्ययन सामग्री प्राप्त करनी है, तो आपको दोनों में अपनी ईमेल से Subscribe करना पड़ेगा | आप दोनों माध्यम के लिए एक ही ईमेल से जुड़ सकते हैं |

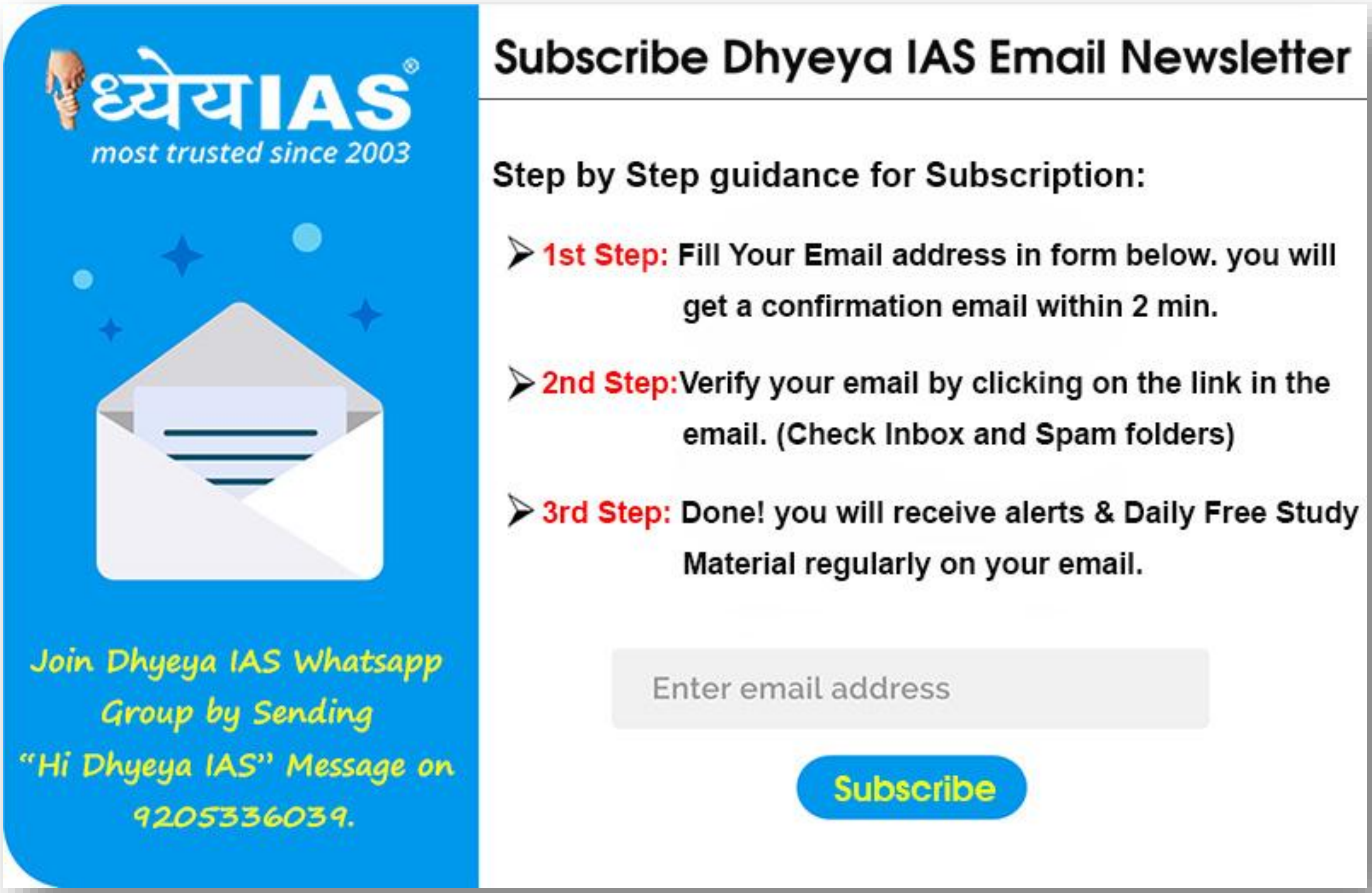

ध्येयIAS
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400